न्यायालयः–द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगर जिला आगर म.प्र.

(समक्ष :–मधुसूदन जंघेल)

Registration No.- ST/40/2025

Filing No.- ST 1562 /2025

CNR No.-MP7001001790/2025

Filing Date -16/06/2025

(प्र.सू.रि. /अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना आगर, जिला आगर (म.प्र.)।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अशोक गवली, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्त	**1–सचिन पुरी पिता ओमप्रकाश पुरी उम्र–23 वर्ष निवासी 107 आई.टी.बी. ग्रीन सीटी देवास नाका इंदौर जिला इंदौर म.प्र.** **2–संतोष पुरी पिता ओमप्रकाश पुरी उम्र–35 वर्ष निवासी 501 सींगापुर टाउनशीप लसुल्डियामोरी इंदौर जिला इंदौर म.प्र. ——अभियुक्तगण** **3. विक्की उर्फ धर्मेंद्र पिता अशोक ठाकुर 325 स्कीम नंबर 78 इंदौर म.प्र. ———(फरार)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियुक्तगण द्वारा – श्री विकास पाठक अधिवक्ता।

प्रारूप –ड

अपराध की तारीख	04.07.2018
प्र.सू.रि. की तारीख	04.07.2018
अभियोग पत्र प्रस्तुति की तारीख	05.02.2019
आरोपों के विरचना की तारीख	आरोपी सचिन 17.07.2025, आरोपी संतोष 22.12.2025
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	12.09.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	04.08.2026

निर्णय की तारीख	07.08.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	07.08.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	सचिनपुरी	10.11.2018 औपचारिक	28.06.2019	धारा 341, 294, 120बी, 307, 506 भाग–2 भा.द. सं. एवं धारा 25 (1–बी)(क), 27 आयुध अधिनियम	दोषसिद्ध धारा 341, 307 भा.द. सं. एवं धारा 25 (1–बी)(क), 27(1) आयुध अधिनियम	निर्णय की कंडिका क्रमांक 114 अनुसार	दिनांक 30.11. 2018 से 02.12. 2018 तक पुलिस रिमांड, दिनांक 02.12.2018 से से दिनांक 28.06. 2019 तक न्यायिक अभिरक्षा एवं दिनांक 22. 05.2025 से दिनांक 07.08. 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा
2.	संतोषपुरी	02.11.2018	03.12.2018	धारा 120 बी, 307 ⁄ 34 भा.द.सं.	दोषमुक्त	–	दिनांक 03.11. 2018 से दिनांक 03.12.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा एवं दिनांक 22. 09.2025 से दिनांक 07.08. 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा

प्ररूप–च

अभियोजन ⁄ प्रतिरक्षा ⁄ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	मुकेश पुरी	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.2	आत्माराम	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा.3	ओमप्रकाश पुरी	आहत साक्षी
अ.सा.4	रफीक	मेमोरेण्डम, जप्ती साक्षी
अ.सा.5	परवेज	मेमोरेण्डम, जप्ती साक्षी
अ.सा.6	रामचंद्र नागर	विवेचनाकर्ता साक्षी

अ.सा.7	राजेंद्रसिंह तोमर	शस्त्र जांच साक्षी
अ.सा.8	राजेंद्र कुमार सोनी	अभियोजन स्वीकृति साक्षी
अ.सा.9	डॉ. संदीप नाहटा	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.10	डॉ. रवि	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.11	डॉ. प्रदीप पोखरना	चिकित्सक साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	सचिन पुरी	बचाव साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	नक्शा मौका पंचनामा
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा
4	प्रदर्श पी.4/अ.सा.4	मेमोरेण्डम आरोपी सचिन
5	प्रदर्श पी.5/अ.सा.4	संपत्ति जप्ती पत्रक आरोपी सचिन
6	प्रदर्श पी.6/अ.सा.6	गिरफतारी पत्रक आरोपी संतोषपुरी
7	प्रदर्श पी.7/अ.सा.6	आरोपी संतोषपुरी की गिरफतारी सूचना
8	प्रदर्श पी.8/अ.सा.6	औपचारिक गिरफतारी प्रत्रक आरोपी सचिन पुरी
9	प्रदर्श पी.9/अ.सा.6	औपचारिक गिरफतारी हेतु पत्र
10	प्रदर्श पी.10/अ.सा.6	अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला दंडाधिकारी को लेखबद्ध पत्र
11	प्रदर्श पी.11/अ.सा.6	ओमपुरी का मेडिकल मुलाहिजा फार्म
12	प्रदर्श पी.12/अ.सा.6	फरारी पंचनामा आरोपी विक्की उर्फ धर्मेंद्र
13	प्रदर्श पी.13/अ.सा.6	एफ.एस.एल. ड्राफ्ट
14	प्रदर्श पी.14/अ.सा.6	एफ.एस.एल. ड्राफ्ट

15	प्रदर्श पी.15/अ.सा.6	एफ.एस.एल. माल जमा की प्राप्ति रसीद
16	प्रदर्श पी.16व 17/अ.सा.6	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
17	प्रदर्श पी.18/अ.सा.6	पुलिस अधीक्षक को लेखबद्ध पत्र
18	प्रदर्श पी.19 लगायत 21/अ.सा.6	जप्ती चिट
19	प्रदर्श पी.22/अ.सा.7	आयुध जांच प्रतिवेदन
20	प्रदर्श पी.23/अ.सा.8	जिला दंडाधिकारी का अभियोजन स्वीकृति
21	प्रदर्श पी.24/अ.सा.9 प्र.पी.—11 के पृष्ठ भाग पर	आहत ओमपुरी की मेडिकल रिपोर्ट
22	प्रदर्श पी.25 व 26/अ.सा.10	एक्सरे रिपोर्ट
23	प्रदर्श पी.27 लगायत 35/अ.सा.11	आहत ओमपुरी के सीएचएल अस्पताल इंदौर के ईलाज के पर्चे

ख. प्रतिरक्षा

सं. क्र.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालय द्वारा कराए गए प्रदर्श, यदि कोई हो :—

क्रमांक	**प्रदर्श नंबर**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

घ— आवश्यक वस्तुएं :

सं. क्र.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1	आर्टिकल ए	खून आलूदा मिट्टी
2	आर्टिकल बी	सादा मिट्टी
3	आर्टिकल सी	7.65 एमएम केलीवर का कारतूस
4	पैकेट डी, आर्टिकल ए—1	देशी कंट्रीमेड पिस्तौल
5	आर्टिकल ई	7.65 एमएम केलीवर का कारतूस

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 07.08.2026 को घोषित)

1— आरोपी सचिनपुरी पर दिनांक 04.07.2018 को समय 16:30 बजे से 16:35 बजे के मध्य स्थान थाना आगर अंतर्गत, बर्डा बरखेड़ा जोड़, कोटा इंदौर मार्ग में ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को जिस दिशा में जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोककर उसका स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित करने, उक्त दिनांक, समय व लोकस्थान या उसके समीप में आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ् कारित करने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सह आरोपी संतोष एवं विक्की उर्फ धर्मेन्द्र के साथ मिलकर आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को जान से खत्म करने का षड्यंत्र कारित करने, उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर इस आशय से या ज्ञानपूर्वक तथा ऐसी परिस्थितियों में आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को पिस्तोल से गोली मारकर, उसे ऐसी प्राणघातक उपहति कारित की, कि यदि उक्त चोटों के कारण ओमप्रकाश पुरी की मृत्यु हो जाती, तो आरोपी हत्या का दोषी होता, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की मेंगजीन लगी हुई चालू हालत में एवं एक जिंदा कारतूस पीतल बॉडी का अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर आयुध अधिनियम धारा—3 के उल्लंघन करने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की

मेंगजीन लगी हुई चालू हालत में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर उक्त आयुध से आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी पर फायर कर उसका उपयोग करने, इस प्रकार आरोपी सचिनपुरी पर धारा 341, 294, 120बी, 307, 506 भाग–2, भा.दं.सं. तथा धारा–25(1–बी)(क), 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है।

2– आरोपी संतोष पर दिनांक 04.07.2018 को समय 16:30 बजे से 16:35 बजे तक स्थान थाना आगर अंतर्गत, बर्डा बरखेड़ा जोड़, कोटा इंदौर मार्ग पर अन्य सहआरोपी सचिन पुरी एवं विक्की उर्फ धर्मेन्द्र के साथ मिलकर आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी की हत्या करने का षड्यंत्र कारित करने, उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर ओमप्रकाश की हत्या कारित करने के सामान्य आशय बनाकर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सह आरोपीगण के साथ आपके द्वारा किए गए षडयंत्र के अनुक्रम में आरोपी सचिन ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर इस आशय से या ज्ञानपूर्वक तथा ऐसी परिस्थितियों में आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को पिस्तौल से गोली मारकर, उसे ऐसी प्राणघातक उपहति कारित की, कि यदि उक्त चोटों के कारण ओमप्रकाश पुरी की मृत्यु हो जाती, तो आरोपी हत्या का दोषी होता, इस प्रकार आरोपी संतोषपुरी पर धारा 120बी, 307 सह पठित धारा 34 भा.द.स. के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

3– प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

4– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मुकेशपुरी ने दिनांक 04.07.2018 को थाना आगर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराया कि वह आगर में जेल भवन के पीछे रहता

है। वह अपने माता–पिता व भाई युवराज पुरी, इंद्रपुरी, ओमप्रकाश पुरी, कमल पुरी, संजय पुरी के साथ में रहता है। आहत ओमप्रकाश पुरी उसके बड़े भाई है। ओमप्रकाश पुरी के लड़के संतोष पुरी एवं सचिन पुरी तथा उनकी मां होकमबाई इंदौर में सिंगापुर टाउन शिप ग्रीन व्यू अपार्टमेंट पांचवे मंजिल पर रहते हैं। उसके बड़े भाई ओमप्रकाश से उनके लड़के आरोपी सचिन पुरी एवं संतोष पुरी काफी समय पहले से जमीन में हिस्सा मांगते आ रहे है। जमीन मांगने की बात को लेकर आज से करीब एक माह पहले उसके भाई ओमप्रकाश एवं संतोष के बीच झगड़ा भी हुआ था। तभी से संतोष तथा सचिन उसके बड़े भाई ओमप्रकाश से काफी रंजिश रखने लगे थे।

5– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का भी है कि दिनांक 04.07.2018 को करीब ग्यारह बजे दिन की बात है वह तथा उसका भाई ओमप्रकाश दोनो अपनी मोटर साइकिल क्रं. एम.पी–42–एमसी–9964 से निपानिया खींची (नलखेडा) खेत पर गये थे। खेत का काम निपटा कर वापस अपनी मोटर सायकिल से आगर आ रहे थे। मोटर सायकिल उसका भाई ओमप्रकाश चला रहा था वह पीछे बैठा था। करीबन साढ़े चार बजे शाम की बात है जब वे कोटा इंदोर रोड बर्डा बरखेडा जोड पर पहुंचे तभी अचानक सचिन तथा उसका एक अन्य साथी सामने से आये दोनो ने मोटर सायकिल को रोक ली तथा सचिन तथा उसका साथी उसके पिता ओमप्रकाश को गंदी गंदी गालिंया देने लगे तथा गालियां देकर बोले कि मादर चोद तूने अभी तक जमीन में हिस्सा नहीं दिया आज तुझे जान से खत्म कर देगें और साथ वाला आदमी मोटर सायकिल को रोककर सामने खड़ा रहा तथा सचिन ने अपनी टी शर्ट के नीचे कमर पर से पेंट में घुसी

पिस्तोल निकाल कर उसके भाई ओमप्रकाश को जान से खत्म करने की नियत से उसके भाई ओमप्रकाश पर लगातार तीन गोलियां चलाई जो उसके भाई ओमप्रकाश को सामने सीने पर लगकर खून निकलने लगा। वे मोटर सायकिल समेत नीचे गिर गये वह अपने भाई को उठा रहा था तभी सचिन एवं उसका साथी थोडी दूर पर खड़ी मोटरसायकिल से आगर तरफ भाग गये। सचिन तथा संतोष ने षडयंत्र कर उसके भाई को जान से मारने के लिये सचिन से गोलियां चलवाई है।

6– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का भी है कि घ टना के तत्काल उपरांत घटनास्थल पर आगर के डी.एस.पी. ए.जे.के. की गाडी आ गई थी उसमें सूचनाकर्ता मुकेश के भाई आहत ओमप्रकाश को लेकर अस्पताल आगर लाए। घटना के सम्बंध में दुर्गेश पुरी आत्माराम एवं कमल पुरी को बताया एवं अपने भाई का इलाज कराया। डॉक्टर ने ओमप्रकाश को उज्जैन रैफर किया। सूचनाकर्ता मुकेशपुरी ने यह भी बताया कि वह सचिन के साथी को सामने आने पर पहचान लेगा। फरियादी मुकेशपुरी की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण सचिनपुरी तथा संतोषपुरी एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना आगर में अपराध क्रमांक–360/2018 धारा–341, 294, 307/34, 120बी भा.द.वि. का प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया गया।

7– अभियोजन का मामला संक्षेप में यह भी है कि विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आरोपी सचिन पुरी के मेमो पर घटना में प्रयुक्त की गई देशी पिस्टल एवं एक जिन्दा कारतूस जप्त किया गया। प्रकरण के आरोपी सचिन पुरी द्वारा उसके साथी विक्की उर्फ धर्मेन्द्र पिता अशोक

ठाकुर निवासी 78 टेम्पो स्टेन्ड इंदौर का होना बताया जिसकी तलाश करने पर फरार होना पाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा आर्म्स एमुनेशन की रक्षित केन्द्र आगर की आर्म्स शाखा में जांच कराई गई एवं जिला दंडाधिकारी से आयुध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के संबंध में अनुमति प्राप्त किया गया। जप्तशुदा आयुध पिस्तोल एवं कारतूस तथा घटनास्थल से जप्त सादा एवं खूनआलूदा मिट्टी का एफ.एस.एल. से परीक्षण कराया गया। साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा–341, 294, 307, 120बी, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव) आगर मालवा के न्यायालय में दिनांक 05.02.2019 को आरोपी सचिन एवं संतोष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, किंतु कमिटल न्यायालय के समक्ष पुनः आरोपी सचिन एवं संतोष अनुपस्थित हो गए जिसके उपरांत आरोपी सचिन के कमिटल न्यायालय में उपस्थित होने पर दिनांक 04.06.2025 को आरोपी सचिन एवं दिनांक 11.10.2025 को आरोपी संतोष से संबंधित प्रकरण उपार्पण पर माननीय सत्र न्यायालय को एवं अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

8– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्णय के पद कमांक एक एवं दो में वर्णित अनुसार आरोप विरचित किए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधानानुसार अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका बचाव है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। बचाव में आरोपी सचिन ने यह बताया है कि वह घटना के दिन भोपाल में था एवं आरोपी संतोष ने बताया है कि वह घटना के समय मध्यप्रदेश की सीमा में नहीं था हिमाचल प्रदेश

के शिमला शहर में था। आरोपीगण का यह भी बचाव है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में आरोपी सचिन ने स्वयं का बचाव साक्षी के रूप में कथन कराया है।

9– अतः प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:–

1– क्या आरोपी सचिन ने दिनांक 04.07.2018 को समय 16:30 बजे से 16:35 बजे तक स्थान थाना आगर अंतर्गत, बर्डा बरखेड़ा जोड़, कोटा इंदौर मार्ग ने ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को जिस दिशा में जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोककर उसका स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित किया?

2– क्या आरोपी सचिन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लोकस्थान या उसके समीप में आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को मां–बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ् कारित किया?

3– क्या आरोपी सचिन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सह आरोपी संतोष पुरी एवं विक्की उर्फ धर्मेन्द्र के साथ मिलकर आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को जान से खत्म करने का षड्यंत्र कारित किया?

4– क्या आरोपी सचिन ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर इस आशय से या ज्ञानपूर्वक तथा ऐसी परिस्थितियों में आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को पिस्तोल से गोली मारकर, उसे ऐसी प्राणघातक उपहति कारित की, कि यदि उक्त चोटों के कारण ओमप्रकाश पुरी की मृत्यु हो जाती, तो आरोपी सचिन

हत्या का दोषी होता?

5– क्या आरोपी संतोष ने अन्य सह आरोपीगण के साथ ओमप्रकाश की हत्या कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सह आरोपीगण के साथ किए गए षडयंत्र के अनुक्रम में आरोपी सचिन ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर इस आशय से या ज्ञानपूर्वक तथा ऐसी परिस्थितियों में आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को पिस्तोल से गोली मारकर, उसे ऐसी प्राणघातक उपहति कारित की, कि यदि उक्त चोटों के कारण ओमप्रकाश पुरी की मृत्यु हो जाती, तो आरोपी संतोष हत्या का दोषी होता?

6– क्या आरोपी सचिन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की मेंगजीन लगी हुई चालू हालत में एवं एक जिंदा कारतूस पीतल बॉडी का अपने आधिपत्य में अवैध रूप से आयुध अधिनियम धारा–3 के उल्लंघन किया?

7– क्या आरोपी सचिन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की मेंगजीन लगी हुई चालू हालत में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर उक्त आयुध से आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी पर फायर कर उसका उपयोग किया?

8– क्या आरोपी सचिन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

— :: <u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :: —

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 के संबंध में :—</u>

10— उपरोक्त चारों विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।

11— मुकेश पुरी अ.सा.—1 ने बताया है कि वह आरोपीगण सचिन पुरी, संतोषपुरी को पहचानता है जो उसके बड़े भाई ओमप्रकाश पुरी के लड़के है। घटना जुलाई माह 2018 के दिन के साढ़े 4 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने भाई ओमप्रकाश पुरी के साथ ग्राम नलखेड़ा के ग्राम निपानिया खीची खेत पर 11 बजे आगर से गया था। खेत से काम निपटाकर 4 बजे लगभग मोटरसायकिल से आगर आ रहे थे। मोटरसायकिल उसके बड़े भाई ओमप्रकाश चला रहे थे। वह उनके पीछे बैठा था। जब वे वापसी आगर आ रहे थे तब इंदौर—कोटा रोड ग्राम बर्डा बरखेड़ा जोड़ पहुंचे तभी सामने से सचिन और उसका साथी दोनों मोटरसायकिल से आए और उसे व उसके बड़े भाई को रोका और उसके बड़े भाई को आरोपीगण धमकाने लगे कि तू जमीन दे दे, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे और गालियां देकर कहने लगे तुझे जान से खत्म कर देगें तभी आरोपी सचिन ने पीछे से पिस्टल निकाली और उसके भाई ओमप्रकाश पुरी को तीन गोली मारी जो उसके भाई ओमप्रकाश को दाहिनी ओर सीने पर लगी थी और वह गोली लगने से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था और वह भी नीचे गिर गया था।

12— मुकेश पुरी अ.सा.—1 ने बताया है कि वह उठकर अपने भाई को संभालने लगा कि दोनों आरोपी मोटरसायकिल से आगर की ओर भाग

गये थे। तभी सुसनेर तरफ से आगर की डी.एस.पी. ज्योति भार्गव घ टनास्थल पर आ गई थी, उन्होंने उसके भाई को व उसे अपनी गाडी से अस्पताल पहुंचा दिया था। उसके भाई ओमप्रकाश पुरी को प्राथमिक उपचार के बाद उज्जैन रेफर कर दिए थे। उज्जैन अस्पताल में उसके भाई की ईलाज के दौरान गोलियां निकाली थी जिसमें से एक गोली आज भी सीने में फंसी हुई है। उसने घटना के संबंध में भाई कमलपुरी तथा उसके खेत पड़ोसी आत्माराम और दुर्गेशपुरी को भी बताया था। उसके भाई ओमप्रकाश पुरी को उज्जैन रेफर करने के पश्चात् उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र.पी. –1 की थी।

13– मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने बताया है कि उसने पुलिस को घ टनास्थल दिखाया था घटनास्थल का नक्शामौका उसकी निशांदेही से तैयार किया था जो प्रपी–2 है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–3 तैयार किया था। सचिन पुरी व संतोषपुरी ने षडयंत्र कर उसके भाई ओमप्रकाश पुरी को जान से मारने की कोशिश की तथा सचिनपुरी ने गोली मारी थी। पुलिस ने उसके कथन लिए थे।

14– मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपीगण सचिनपुरी एवं संतोषपुरी आहत ओमप्रकाश पुरी के लड़के हैं। यह स्वीकार किया है कि उसका भाई ओमप्रकाश पुरी अपने बच्चे संतोषपुरी एवं सचिनपुरी तथा पत्नी के साथ पहले इंदौर में रहता था, स्वतः बताया है कि बहुत वर्ष पहले रहता था। यह स्वीकार किया है कि जब ओमप्रकाश पुरी इंदौर में रहता था उस समय सभी भाईयों की जमीन शामिलाती थी। इससे इंकार किया है कि सभी जमीन संभालता था। यह

स्वीकार किया है कि ओमप्रकाश पुरी जब वापस आगर आ गये तब जमीनों के बंटवारे हुए थे। इससे इंकार किया है कि पूर्व में जमीन के बंटवारे को लेकर उसके व ओमप्रकाश एवं उनके लडको में विवाद हुआ था। इससे इंकार किया है कि जमीन बंटवारे को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था और उसके खिलाफ संतोष पुरी ने रिपोर्ट की थी, स्वतः बताया है कि उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी। यह स्वीकार किया है कि जब जमीन के बंटवारे के संबंध में विवाद हुआ था तब उनके पिता कचरूपुरी के द्वारा जमीन का बंटवारा कराया गया था, किंतु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि पुरानी रंजिश एवं जमीन बंटवारे के कारण आरोपीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी है।

15– मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक को वे लोग निपानिया खींची से लगभग 4 बजे निकले थे और साढ़े 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। इससे इंकार किया है कि घटना के समय अंधेरा हो गया था। इससे इंकार किया है कि जिसने उसके भाई पर गोलियां चलाई उनके मूंह गमछे से ढके हुए थे। इससे इंकार किया है कि हमलावर ने हेलमेट पहन रखे थे। इससे इंकार किया है कि हमलवार के मूंह गमछे से ढके होने के कारण उन्हें पहचान नहीं पाया था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण से ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ कि आरोपीगण का मौके पर पहचान नहीं हो पाया। साक्षी मुकेश ने यह स्पष्ट बताया है कि आरोपी सचिन उसके बड़े भाई ओमप्रकाश का लड़का है। ऐसे में आरोपी को ना पहचाने जाने का भी कोई प्रश्न नहीं है।

16– मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि घटना के समय वह मोटरसायकिल चला रहा था, स्वतः बताया है कि

उसके बड़े भाई ओमप्रकाश चला रहा थे। इससे इंकार किया है कि हमलावर उस पर हमला करने आए थे। इससे इंकार किया है कि हमले के समय उस पर हमलवार द्वारा गोलियां चलाई थी, वह नीचे झुक गया था इस कारण ओमप्रकाश को गोलियां लगी थी।

17– मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण संतोषपुरी और सचिनपुरी हिमाचल प्रदेश के कुल्लु कस्बे में थे। इससे इंकार किया है कि गोलियां आरोपीगण के द्वारा नहीं चलाई गई थी, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोलियां चलाई गई थी। इससे इंकार किया है कि घटना के समय शाम के 7–साढ़े 7 बजे रहे थे।

18– मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह संतोषपुरी की पत्नी रिंकू पुरी को जानता है। यह स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध संतोषपुरी की हत्या के प्रयास से संबंधित प्रकरण आगर न्यायालय में लंबित है जिसके संबंध में रिपोर्ट संतोष की पत्नी रिंकू पुरी ने की थी। इससे इंकार किया है कि उसके विरूद्ध चल रहे प्रकरण की रंजिश के कारण वह इस प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध झूठी गवाही दे रहा है। इससे इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके भाई ओमप्रकाश पुरी के उपर पिस्टल से कोई गोली नहीं चलाई थी। इससे इंकार किया है कि पुरानी रंजिश एवं जमीन बंटवारे के कारण आरोपीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है। इससे इंकार किया है कि पुरानी रंजिश के कारण आज झूठा कथन कर रहा है। इस प्रकार साक्षी मुकेश पुरी घटना के समय अपने भाई आहत ओमप्रकाश पुरी के साथ घटनास्थल पर ही मौजूद था और इस साक्षी ने यह स्पष्ट बताया है कि आरोपी सचिन ने पिस्टल निकालकर उसके भाई ओमप्रकाश के सीने में तीन गोलियां मारी थी तथा उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षण में भी अखंडित रहा है।

19– आत्माराम अ.सा.–2 ने बताया है कि वह फरियादी मुकेश एवं आहत ओमप्रकाश को पहचानता है। वह कृषि का कार्य करता है। उसकी जमीन कचनारिया निपानिया खींची के पास स्थित है। फरियादी ओमप्रकाश और मुकेश की जमीन भी उसकी जमीन के पास है। ओमप्रकाश अक्सर जमीन की देखरेख करने कचनारिया निपानिया खींची आते रहते थे और ओमप्रकाश और वह जमीन पर साथ में ही रहते थे। उसकी ओमप्रकाश से बातचीत होती रहती थी। ओमप्रकाश अक्सर उससे कहता था कि उसके लडके उसकी जमीन बिकवाना चाहते है और उसके कारण लड़ाई–झगड़ा करते हैं।

20– आत्माराम अ.सा.–2 ने बताया है कि घटना को लगभग 5 से 7 वर्ष हो चुके हैं। फरियादी ओमप्रकाश व मुकेश गांव कचनारिया निपानिया खींची से लगभग दिन में 3 बजे के बाद आगर के लिए निकले थे। लगभग 4 बजे के बाद उसे मुकेश का फोन आया था। मुकेश ने बताया था कि रास्ते में ओमप्रकाश के लड़के ने गोलियां मार दी है जिसके कारण ओमप्रकाश को गोलियां लगी हैं। इसके बाद वह आगर अस्पताल में आया था वहां पर उसने ओमप्रकाश पुरी को खून में लथपथ देखा था फिर ओमप्रकाश को डॉक्टर उज्जैन रेफर कर दिये थे। अस्पताल में उससे पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी। बाद में भी पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। आज उसे यह भी ध्यान नहीं है कि पुलिस ने उसका घटना के संबंध में कोई बयान लिया था या नहीं लिया था।

21– अभियोजन साक्षी आत्माराम अ.सा.–2 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसका ओमप्रकाश पुरी के साथ अच्छा संबंध है। ओमप्रकाश पुरी उसे अपनी जमीन–जायदाद के संबंध में सभी बातें बताते थे। ओमप्रकाश ने

उसे यह भी बताया था कि उसके लड़के इंदौर में रहते हैं। यह स्वीकार किया है कि ओमप्रकाश ने उसे यह भी बताया था कि जमीन के बटवारे को लेकर उनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हैं। साक्षी आत्माराम अनुश्रुत साक्षी है, जिसने घटना चक्षुदर्शी साक्षी मुकेश के बताए अनुसार न्यायालय में बतायी है, किंतु साक्षी आत्माराम ने अंशतः इस तथ्य की पुष्टि की है कि जब वह अस्पताल गया था तब उसने आहत ओमप्रकाश को खून से लथपथ देखा था और ओमप्रकाश को डॉक्टर ने उज्जैन रैफर कर दिया था।

22– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने बताया है कि वह आरोपीगण सचिन एवं संतोष को पहचानता है दोनों उसके लड़के हैं। संतोष उसका बड़ा पुत्र तथा सचिन छोटा पुत्र है। घटना जुलाई 2018 की है। घटना वाले दिन वह अपने भाई मुकेश के साथ नलखेड़ा के पास निपानिया खिची गांव स्थित कृषि भूमि में गया था। उन्होंने वहां पर दिन भर काम किया फिर वे दोनों भाई 4 बजे दिन में वहां से मोटसाईकिल से चले थे। मोटरसायकिल वह चला रहा था। वापसी में वे जब बल्डा बरखेड़ा जोड़ के पास पहूंचे तो वहां पर आरोपी सचिन मोटरसायकिल से आया और वहां पर उसे रोका, सचिन के साथ एक लड़का और था जिसका नाम वह नहीं जानता। सचिन ने उसे गालियां दी और कहा कि उसे जमीन चाहिए, नहीं देगा तो गोली मार देगा, सचिन ने यह कहते–कहते उसे तीन गोलियां मार दी। तीनों गोलियां उसे सीने पर मारी थी जिसमें एक आर–पार हो गई थी, और एक गोली उसके सीने में फंसी हुई है और एक गोली डॉक्टर ने उसके शरीर से निकाल ली थी।

23– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने बताया है कि आरोपी संतोष मोबाईल पर कह रहा था कि इसको गोली मार दो। तभी घटना स्थल पर

डी.एस.पी. आ गई थी, डी.एस.पी. द्वारा पूछा गया कि उस पर हमला करने वाले कौन थे, उसने बता दिया था कि उसका लड़का सचिन था तथा उसके साथ एक अन्य व्यक्ति था जिनके द्वारा उस पर हमला किया गया फिर डीएसपी उसे आगर अस्पताल लेकर आई थी वहां उसका ईलाज हुआ था। फिर वहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिये थे, फिर इंदौर रेफर कर दिये थे जहां पर उसका ईलाज हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके कथन लिए थे।

24– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के पहले वह अपनी पत्नी और अपने लड़के सचिन पुरी व संतोषपुरी के साथ इंदौर निवास करता था। यह स्वीकार किया है कि इंदौर में उसके दांहिने पांव में चोंट लगी थी जिस कारण वह चलने–फिरने में भी असमर्थ हो गया था, स्वतः बताया है कि उसके लड़के आरोपी सचिन ने डंडे से उसका पांव तोड़ दिया था। उसके बाद उसका भाई मुकेश पुरी उसे आगर लेकर आ गया था। उसके बाद वह अपने भाईयों के साथ आगर में ही निवास करता है। इस प्रकार आहत ओमप्रकाश ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब वह अपने लड़के आरोपी सचिन और संतोष के साथ इंदौर में रहता था तब उसके लड़के सचिन ने उसका पांव तोड़ दिया था, जिसके कारण वह आगर आकर रहने लगा।

25– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसकी व उसके भाईयों की जमीन आगर और निपानिया खीचीं में स्थित है। यह स्वीकार किया है कि घटना से पूर्व आगर की जमीन में से कुछ हिस्सा उसके द्वारा विक्रय किया गया था। इससे इंकार किया है कि उसके पिताजी ने आरोपी संतोष को बुलाया था कि तेरे हिस्से के रूपये तू लेकर चले जा।

इससे इंकार किया है कि संतोष उसके पिता के बुलाने पर आगर रूपये लेने आया था। इससे इंकार किया है कि वह जब रूपये लेने आया तब उसने व उसके भाईयों ने संतोष पर और सचिन पर लकड़ी व डंडो, तलवार से प्राणघातक हमला किया था। इससे इंकार किया है कि उसका प्रकरण क्रमांक–421 / 2018 भी उनके खिलाफ आगर न्यायालय में चला था जिससे उन्हें 1–1 साल की सजा हुई थी। इससे इंकार किया है कि उसके खिलाफ सचिन लोगों को जान से मारने के प्रयास का मुकदमा आगर न्यायालय में वर्तमान में भी चल रहा है। यह स्वीकार किया है कि उसके भाईयों के उपर सचिन व संतोष पर जानलेवा हमले का मुकदमा चल रहा है, स्वतः बताया कि उन्हें झूठा फंसाया है। आरोपी सचिन ने आहत ओमप्रकाश के खिलाफ कोई रिपोर्ट की हो ऐसा कोई दस्तावेज आरोपी सचिन की ओर से साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान ना तो प्रस्तुत किया गया और ना ही प्रदर्शित कराया गया।

26– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे घटना की निश्चित तारीख याद नहीं है, स्वतः बताया कि वर्ष 2018 की है। इससे इंकार किया है कि वह घटना का समय नहीं बता सकता, स्वतः बताया कि दिन के 04:30 बजे लगभग की घटना है। वह आगर से निपानिया खीची खेत जाने के लिए दिन के 11 बजे निकला था। उसने दिनभर खेत में काम किया था। यह स्वीकार किया है कि वहां से 4 बजे चले थे। निपानिया खीची से घटनास्थल कितनी दूरी पर है वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि वह टीवीएस दोपहिया वाहन से आ रहा था वाहन वह स्वयं चला रहा था। उस समय उसकी गाड़ी की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा की थी। बल्डा बरखेड़ा जोड पर उसे रोके थे। वहीं

से आगर–कोटा हाईवे निकला हुआ है। यह स्वीकार किया है कि हाईवे पर गाड़ियो का आना–जाना लगा रहता है, स्वतः बताया है कि उस समय कोई गाड़ी नहीं थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में भी इस साक्षी ने घटनास्थल बर्डा बरखेडा जोड़ पर उसे रोकने की पुष्टि किया है।

27– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जिस समय आरोपी सचिन ने उसे रोका उसी समय तत्काल आरोपी संतोष का फोन नहीं आया था। पहली गोली लगने से वह अपनी गाड़ी से नीचे गिर गया था, स्वतः बताया है कि साथ में तड़ातड़ गोली चला दी थी। आरोपी गोली मारते ही वहां से भागा तभी डी.एस.पी मौके पर आ गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर उससे घटना के बारे में पहला पूछा था। जिस समय आरोपी सचिन ने घटना कारित की उस समय उसने व उसके भाई ने सचिन को कोई गाली नहीं दी थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में इस साक्षी ने पुनः इस तथ्य की पुष्टि की है कि आरोपी सचिन ने उसे रोका और पहली गोली लगने से वह गाडी से गिरा जिसके बाद तडातड गोली चला दी। इससे प्रतिपरीक्षण में आए उक्त तथ्य से भी आरोपी सचिन द्वारा आरोपी ओमप्रकाश को पिस्टल से गोली मारने की घटना की पुष्टि होती है।

28– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि घटना के समय भी पहले उसने और उसके भाई ने सचिन पर जानलेवा हमला किया था। जबकि आरोपी सचिन ने स्वयं का बचाव साक्षी के रूप में परीक्षण कराया है किंतु उक्त साक्षी सचिन ब.सा.–1 ने अपने परीक्षण में यह कहीं भी नहीं बताया कि घटना के दौरान आहत ओमप्रकाश या उसके भाई मुकेश ने उस पर पहले हमला किया। ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है कि आहत के हमले से आरोपी को इस स्तर का प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

उत्पन्न हो गया कि आरोपी सचिन को आहत ओमप्रकाश पर गोली चलाना पडा। फलतः प्राईवेट प्रतिरक्षा का लिया गया बचाव भी प्रमाणित नहीं होता है।

29– आहत ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने बताया है कि आरोप सचिन ने उसके सीने पर तीन गोलियां मारी थी। रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उक्त दिनांक 04.07.2018 को ही पी.एन. शर्मा ने मेडिकल फॉर्म आहत ओमपुरी का जारी किया था जो प्रपी–11 है जिसके ए से ए भाग पर पी.एन. शर्मा के हस्ताक्षर हैं।

30– इस प्रकरण में आहत ओमप्रकाश की एम.एल.सी. करने वाले मेडिकल ऑफिसर डॉ. मुकेश जैन की मृत्यु हो जाने के कारण उनके द्वारा की गई एम.एल.सी. के संबंध में उनके साथ पदस्थ डॉ. संदीप नाहटा का परीक्षण कराया गया।

31– आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 द्वारा बतायी गई चोटों की पुष्टि करते हुए डॉ. संदीप नाहटा अ.सा.–9 ने बताया है कि वह वर्ष 2013 से जिला चिकित्सालय आगर–मालवा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। डॉक्टर मुकेश जैन उसकी पदस्थापना के दौरान जिला चिकित्सालय आगर मालवा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसने उनके साथ कार्य किया है और कार्य के दौरान उनके लिखे हुए एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज उसके समक्ष भी आते थे इसलिए वह उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर को पहचानता है। दिनांक 04.07.2018 को आहत ओमपुरी पिता कचरूपुरी उम्र 60 वर्ष को आरक्षक सचिन कमांक–239 पी.एस. आगर के द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाये जाने का लेख है उक्त दिनांक को डॉक्टर मुकेश जैन के द्वारा उक्त आहत का मेडिकल परीक्षण

किया गया था जिसमें आहत के शरीर पर निम्नलिखित चोंटे पायी गई थी। आहत को लाए जाने पर उसका रक्तचाप 90/70 एमएम मरक्यूरी, नाडी दर 100 प्रति मिनिट था। आहत उपरी सांस ले रहा था। आहत गंभीर अवस्था में था।

32– डॉ. संदीप नाहटा अ.सा.–9 ने बताया है कि आहत के शरीर पर चोट कमांक 1– आहत के शरीर पर एक गोलाकार घाव जिसका आकार 2.5 गुणा 2.5 सेमी था जो आहत के दाहिने छाती पर मौजूद था। उक्त चोंट चौथी और पांचवी पसली के बीच में था, चोट कमांक 2–आहत के शरीर पर एक गोलाकार घाव जिसका आकार 2.5 गुणा 2.5 सेमी दाहिने छाती पर गहराई में था जो छठवी से सातवी पसली के बीच में था, चोट कमांक 3–आहत के शरीर पर एक गोलाकार घाव आठवी पसली के पास था, चोट कमांक 4– आहत के शरीर पर एक गोलाकार घाव जिसका आकार 2 गुणा 2 सेमी दाहिने छाती के पिछले हिस्से में मौजूद था।

33– डॉ. संदीप नाहटा अ.सा.–9 ने बताया है कि उनके अभिमत में आहत को आई उपरोक्त चोटें गन शॉट से पहुंचाई गई होना लेख है एवं चोट परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की थी आहत को हायर सेंटर में अग्रिम उपचार के लिए रेफर किया गया था। डॉक्टर मुकेश जैन द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रपी–24 है जिसके ए से ए भाग पर डॉक्टर मुकेश जैन के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार आहत ओमप्रकाश ने आरोपी सचिन द्वारा गोली मारने से अपने सीने में चोट आना बताया है और डॉ. संदीप नाहटा ने भी आहत की चोटें गन शॉट से आने की पुष्टि की है।

34– डॉ. संदीप नाहटा अ.सा.–9 ने प्रतिरीक्षण में इससे इंकार किया है कि आहत की स्थिति गंभीर नहीं थी। इससे इंकार किया है कि आहत की

चोंटे परीक्षण किए जाने के 6 घंटे बाद की थी। इससे इंकार किया है कि उपरोक्त चोंटे आहत की जान को खतरा पहूंचाने वाली नहीं थी। इस प्रकार चिकित्सक साक्षी के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि आहत को आयी चोटें उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

35– रवि मसंद अ.सा.–10 ने बताया है कि वह दिनांक 13.07.2018 को सी.एच.एल. हॉस्पीटल इंदौर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने ओमपुरी गोस्वामी के छाती की एक्सरे की रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें उसने पाया था कि मरीज के दाहिने फेफड़े निमोनिया व पानी भरा हुआ था। मरीज की छाती में एक ट्यूब डली थी। उक्त एक्सरे रिपोर्ट प्रपी–25 व प्रपी–26 है। उक्त तथ्य को भी प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

36– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उसने प्रकरण में आहत ओमप्रकाश पुरी के ईलाज से संबंधित बेडहेड टिकिट एवं एक्स–रे प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया हैं।

37– प्रदीप पोखरना अ.सा.–11 ने बताया है कि वह दिनांक 04.07. 2018 को सीएचएल अस्पताल इंदौर में कार्डियो थोरेसिक सर्जन के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मरीज ओमपुरी गोस्वामी पिता कचरूपुरी गोस्वामी उम्र 50 वर्ष निवासी जेल के पास आगर–मालवा को इमरजेंसी विभाग में मरणासन्न अवस्था में लाया गया, वहां पर डॉक्टर अमित गांगूली के द्वारा जांच कर ईलाज चालू किया गया। मरीज के साथियों ने बताया कि मरीज को 04.07.2018 को करीब दोपहर 3 बजे गोली मारी गई है और दो गोली चलाई गई थी जो कि घटना आगर के नजदीक गांव बर्डा बरखेड़ा में हुई थी। इसके बाद मरीज को आगर सिविल अस्पताल में लाया गया जहां

से उसको प्राथमिक उपचार दिया गया एवं एमएलसी की गई, वहां से उसे उज्जैन सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसका ईलाज किया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे फिर इंदौर लाया गया।

38– प्रदीप पोखरना अ.सा.–11 ने बताया है कि दिनांक 05.07.2018 को सुबह 8 बजे उसने मरीज की जांच की थी जिसमें पाया था कि मरीज के दांयी छाती में 4 घाव हैं जिनमें पहले से टांके लगे हुए हैं, दो घाव छाती के आगे के हिस्से में, एक घाव छाती के दांयी तरफ, एक घाव छाती के पीछे की तरफ था। मरीज को सास लेने में कठिनाई थी। उसका दांया फेफड़ा क्षतिग्रस्त था एवं छाती के दांयी ओर काफी मात्रा में खून एवं हवा भरी हुई थी। मरीज का एक ऑपरेशन करके छाती के दांयी ओर एक नली डाली गई जिसे की आई.सी.डी. इंसर्शन कहते हैं, इसके द्वारा मरीज की छाती से जमा खून एवं हवा को बाहर निकाला गया ताकि फेफड़ा फूल सके और मरीज की सांस सामान्य हो सके।

39– प्रदीप पोखरना अ.सा.–11 ने बताया है कि दिनांक 11.07.2018 तक मरीज को पहले आई.सी.यू. एवं बाद में एच.डी.यू. में रखकर ईलाज किया गया। स्थिति सुधरने के पश्चात् दिनांक 11.07.2018 छाती की नली निकाल दी गई और उसका चलना फिरना शुरू किया गया एवं उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दो दिन बाद दिनांक 13.07.2018 को एक्स–रे करके देखा गया कि छाती में अब कोई खून और हवा जमा नहीं है एवं फेफड़ा फूल गया है, हालांकि फेफड़े में चोंट अभी भी है जो कि धीरे–धीरे ठीक होती है। मरीज को स्थिर अवस्था में दिनांक 13.07.2018 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके द्वारा किये गये ईलाज के पर्चे प्रपी–27 लगायत प्रपी–35 है जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

40— प्रदीप पोखरना अ.सा.—11 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसके द्वारा मरीज की जांच दिनांक 05.07.2018 को की गई थी। इससे इंकार किया है कि उसके द्वारा की गई जांच के समय मरीज की स्थिति ठीक थी, स्वतः बताया कि मरीज का ब्लड प्रेशर कम था, उसे सांस बराबर नहीं आ रही थी ओर ऑक्सीजन लेवल भी कम था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 04.07.2018 को डॉक्टर अमित गांगूली ने मरीज का क्या ईलाज किया था। यह स्वीकार किया है कि उसने आहत के फेफड़े में चोंट की वजह जो हवा और खून भर गया था उसका ही ईलाज किया गया था जिसके संबंध में गोली दवाई दी थी। इससे इंकार किया है कि दिनांक 04.07.2018 एवं 05.07.2018 को आहत मरणासन्न स्थिति में नहीं था, उसकी स्थिति में सुधार हो गया था। यह स्वीकार किया है कि जब आहत सीएचएल अस्पताल आया था तब उसके घावों पर टांके लगे हुए थे। इससे इंकार किया है कि आहत का उस समय ब्लड प्रेशर कम नहीं था। आहत का उस समय ब्लड प्रेशर 80/50 था। यह स्वीकार किया है कि आहत के साथ क्या घटना घटी उसकी जानकारी आहत के परिजनों के द्वारा बताई गई थी।

41— इस प्रकार घटना के उपरांत आहत ओमप्रकाश को जिला चिकित्सालय आगर में प्राथमिक उपचार के लिए ले जायागया था जहां उसकी एम.एल.सी. की गई, जहां से उज्जैन रैफर किया गया, जिसके पश्चात दिनांक 05.07.2028 से साक्षी प्रदीप पोखरना द्वारा आहत ओमप्रकाश का उपचार किया गया। इस साक्षी ने भी यह स्पष्ट बताया है कि मरीज का दंया फेफडा क्षतिग्रस्त था जिसमें खून एवं हवा भरी हुई थी जिसको उसने निकाला जिससे मरीज की सांस सामान्य हो सकी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट बताया कि मरीज का ब्लड प्रेशर कम था व सांस बराबर नहीं आ

रही थी व ऑक्सीजन लेवल भी कम था। प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट इंकार किया है कि दिनांक 04.07.2018 एवं 05.07.2018 को आहत मरणासन्न स्थिति में नहीं था, जिससे यह भी स्पष्ट है कि आहत ओमप्रकाश मरणासन्न स्थिति में था।

42— साक्षी मुकेशपुरी अ.सा.—1 ने बताया है कि घटना के उपरांत उसे व उसके भाई को लेकर डी.एस.पी. ज्योति भार्गव अस्पताल गई थी। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसके भाई को उज्जैन रैफर किया जिसके बाद उसने थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—1 लेखबद्ध करायी थी। रामचंद्र नागर अ.सा.—6 ने बताया है कि उसने उपनिरीक्षक पी.एन. शर्मा के साथ रहकर कार्य किया है। पी.एन. शर्मा की मृत्यु हो चुकी है वह उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से परीचित है। पी.एन. शर्मा द्वारा दिनांक 04.07. 2018 को अपराध क्रमांक—360 / 2018, धारा—341, 294, 307, 120बी, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्रपी—1 है जिसके बी से बी भाग पर पी.एन. शर्मा के हस्ताक्षर हैं। साक्षी मुकेश पुरी अ.सा.—1 प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता के न्यायालयीन कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—1 में कोई तात्विक विरोधाभास या लोप भी नहीं है एवं साक्षी मुकेश ने अपने द्वारा दर्ज कराए गए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—1 के तथ्यों का न्यायालय में समर्थन किया है जिसे प्रतिपरीक्षण में खंडित भी नहीं किया गया है। घटना दिनांक 04.07.2018 के 16:30 बजे की थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पीव. —1 तत्काल उसी दिनांक 04.07.2018 को 20:30 बजे दर्ज करा दिया गया है और मुकेशपुरी ने यह भी बताया है कि जैसे ही उसके भाई ओमप्रकाश को आगर अस्पताल से उज्जैन रैफर किए उसके तत्काल बाद उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करा दिया था। ऐसे में जहां तत्काल प्रथम सूचना

रिपोर्ट पंजीबद्ध कराया गया हो वहां उस पर अविश्वास किए जाने का भी कोई कारण नहीं है।

43– साक्षी मुकेश पुरी अ.सा.–2 ने बताया है कि पुलिस ने उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.–2 तैयार किया था। घटनास्थल इंदौर कोटा रोड ग्राम बर्डा बरखेडा जोड था। आहत ओमप्रकाश पुरी अ.सा. –3 ने भी बताया है कि जब वह बर्डा बरखेडा जोड़ के पास पहुंचे तभी आरोपी सचिन आकर उन्हें रोक लिया था। रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि वह दिनांक 05.07.2018 को थाना कोतवाली आगर पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक–360/2018, धारा–341, 294, 307, 120बी, 34 भा.द.वि. की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी मुकेश पुरी द्वारा घ टनास्थल दिखाए जाने पर उसने घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया था जो प्रपी–2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र.पी.–2 में घटनास्थल को ''ए'' स्थान से दर्शित किया गया है जो बर्डा बरखेडा जोड़ के समीप है। इस प्रकार सूचनाकर्ता मुकेश पुरी अ.सा.–1 एवं आहत ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 एवं विवेचक साक्षी रामचंद्र नागर अ.सा.–6 के कथन से घटनास्थल की पुष्टि होती है।

44– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी मुकेश पुरी तथा दुर्गेशपुरी के समक्ष घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी को जप्त कर सीलबंद किया था एवं मौके पर एक जिंदा कारतूस पीतल की बॉडी वाला जिसके पैंदे पर के.एफ.–7.65 लिखा था को माचिस में रखकर पंचान के हस्ताक्षर चिट से विधिवत सीलबंद किया गया जिसे 'सी' से चिन्हित किया गया को जप्त कर जप्ती पंचनामा

प्रपी–3 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनाक 05.07.2018 को फरियादी मुकेश पुरी, साक्षी आत्माराम, दुर्गेशपुरी, कमलपुरी, ज्योति भार्गव उपपुलिस अधीक्षक तथा दिनांक 06.07.2018 को कचरूपुरी, दिनांक 15.07.2018 को आहत ओमप्रकाश पुरी के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। साक्षी मुकेश अ.सा.–1 एवं आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 ने पुलिस द्वारा अपना कथन लेखबद्ध किया जाना बताया है। उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षी मुकेश एवं ओमप्रकाश के न्यायालयीन कथन एवं पुलिस कथन में भी कोई तात्विक विरोधाभास प्रतिपरीक्षण में प्रकट नहीं हुआ है।

45– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि दिनांक 02.11.2018 को उसके द्वारा साक्षी पूरालाल एवं सोनू के समक्ष क्राईम ब्रांच इंदौर से आरोपी संतोषपुरी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी–6 का तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी संतोषपुरी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी संतोषपुरी की गिरफ्तारी की सूचना उसकी माता होकमबाई को दी थी उक्त सूचना पत्र प्रपी–7 है। दिनांक 10.11.2018 को उसके द्वारा आरोपी सचिन पुरी को न्यायालय की अनुमति से औपचारिक रूप से न्यायालय परिसर इंदौर से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.–8 तैयार किया था। उसने पंचान सूर्यप्रकाश एवं जितेन्द्र के समक्ष आरोपी विक्की उर्फ धर्मेन्द्र ठाकुर के संबंध में फरारी पंचनामा प्र.पी.–12 तैयार किया था।

46– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उसने प्रकरण में आहत ओमप्रकाश पुरी के ईलाज से संबंधित बेडहेड टिकिट एवं एक्स–रे प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किये हैं। उसने प्रकरण में फरार आरोपी विक्की उर्फ धर्मेन्द्र पिता अशोक कुमार निवासी–325 टेंपो स्टेंड, पान की दुकान

स्कीम नंबर–78 इंदौर थाना लसूल्डिया इंदौर के विरूद्ध धारा–299 जा.फो. में चालान की अनुमति बाबत् पुलिस अधीक्षक को पत्र प्र.पी.–18 लेखबद्ध किया था।

47– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उसने आरोपी सचिन के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी सचिन के घर से सचिन द्वारा निकाल कर पेश किए जाने पर घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल चालू हालत में और एक जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–5 तैयार किया था, जिसका एफ.एस.एल. से परीक्षण कराया था। एफ.एस.एल. सागर से प्राप्त रसीद प्रपी–15 है। क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमर घाट राउ से प्राप्त रिपोर्ट प्रपी–16 है तथा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट प्रपी–17 है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी.–16 के अनुसार घटनास्थल से जो खूनआलुदा मिट्टी जप्त किया गया था उस खूनाआलुदा मिट्टी का परीक्षण किए जाने पर प्रदर्श ''ए'' पर मानव रक्त होना पाया गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी.–17 के अनुसार पैकेट ''डी'' में जो प्रदर्श ए–1 देशी निर्मित पिस्तोल बेलिस्टिक शाखा द्वारा परीक्षण किया गया उसमें उक्त देशी निर्मित पिस्तोल का एक्शन मैकेनिज्म कार्यशील अवस्था में होना पाया गया तथा कारतूस जो पैकेट सी एवं ई में भेजे गए थे वे कारतूस भी जीवित अवस्था में होना पाए गए। इस प्रकार आरोपी सचिन जो देशी निर्मित पिस्तोल जप्त किया गया वह एफ.एस.एल. रिपोर्ट अनुसार कार्यशील अवस्था में होना पाया गया, जिससे घटना में देशी निर्मित पिस्टल का प्रयोग होना भी प्रमाणित है।

48– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि फरियादी एवं पीड़ित से मिलकर उनके कहे अनुसार आरोपियों के विरूद्ध

असत्य रूप से साक्ष्य संकलित की है। इससे इंकार किया है कि प्रकरण के साक्षियों के कथन उसने साक्षियों के बिना पूछे मन से लेखबद्ध किए हैं। इससे इंकार किया है कि उसने थाने पर बैठकर एफआईआर के आधार पर साक्षियों का कथन लेखबद्ध कर लिए है। इससे इंकार किया है कि आरोपी सचिन से पिस्टल एवं जिंदा कारतूस आरोपी के घर से जप्त नहीं किये हैं। इससे इंकार किया है कि वह आरोपी के घर पर नहीं गया था। इससे इंकार किया है कि उसने थाने पर बैठकर जप्ती पत्रक तैयार किया है। इससे इंकार किया है कि उसने फरियादी से मिलकर जप्ती की है। इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी के मेमो कथन आरोपी को अभिरक्षा में दबाब बनाकर असत्य रूप से लेख किए हैं। इससे इंकार किया है कि जमीनी रंजिश के कारण फरियादी से मिलकर उसने आरोपीगण को झूठा फंसाया है। विवेचना अधिकारी रामचंद्र नागर के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे आरोपीगण को कोई बचाव प्राप्त होता हो।

49— इस प्रकरण में आरोपीगण पर आहत ओमप्रकाश पुरी की हत्या करने का षडयंत्र करने धारा 120 बी भा.दं.सं. का भी आरोप है, ऐसे में प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या आरोपीगण द्वारा आहत ओमप्रकाश पुरी की हत्या करने का षडयंत्र किया गया।

50— धारा 120 क आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा— जबकि दो या अधिक व्यक्ति—(1) कोई अवैध कार्य, अथवा (2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति

के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

51– आपराधिक षडयंत्र को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है। परिस्थितियों से एक ही अपरिहार्य निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त आपराधिक षडयंत्र में लिप्त था और ऐसा निष्कर्ष अभियुक्त के कार्य और आचरण से निकाला जा सकता है। आपराधिक षडयंत्र को साबित करने के लिए यह भी अभिदर्शित करना आवश्यक होता है कि दो या अधिक व्यक्ति के मध्य अवैध कार्य करने का करार हुआ था, इसका स्पष्टतः तात्पर्य यह है कि उसके बाद षडयंत्रकारियों के मस्तिष्क का मिलन हुआ जिसमें किसी अपराध के कारित किए जाने का अंतिम निर्णय लिया गया। अधिकांश मामलों में षडयंत्र करने के करार का सीधा साक्ष्य नहीं मिल पाता किंतु कोई षडयंत्र दो या अधिक के मध्य हुए करार के निष्कर्षात्मक और असंदिग्ध अनुमान उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से अनुमानित किया जा सकता है। यह भी साबित करना होगा कि अभियुक्त की सम्मति ऐसे संदिग्ध कार्य करने के लिए हुआ था।

52– साक्षी मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने बताया है कि सचिन व संतोषपुरी ने षडयंत्र कर उसके भाई ओमप्रकाश को जान से मारने की कोशिश की थी। साक्षी आत्माराम अ.सा.–2 ने षडयंत्र के बारे में कोई कथन नहीं किया है। आहत ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने स्वयं आरोपीगण के मध्य षडयंत्र किए जाने के बारे में कोई कथन नहीं किया है। मात्र यह बताया है कि आरोपी संतोष मोबाईल पर यह कह रहा था कि इसको गोली मार दो किंतु प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि जिस समय सचिन ने उसे रोका उस समय तत्काल आरोपी संतोष का फोन नहीं आया था अर्थात आरोपीगण के मध्य षडयंत्र किया गया हो ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। ऐसे में षडयंत्र के

संबंध में कोई परिस्थिति अभियोजन की ओर से साबित की गई हो यह भी देखा जाना चाहिए। साक्षी मुकेश अ.सा.–1 एवं ओमप्रकाश अ.सा.–3 ने घटना के पूर्व आरोपी सचिन और संतोष ने ओमप्रकाश की हत्या के संबंध में कही मिले हो और योजना बनायी हो ऐसा नहीं बताया है। संतोष द्वारा फोन करने के संबंध में साक्षी ओमप्रकाश ने बताया है किंतु विवेचना के दौरान ना तो आरोपी संतोष का फोन जप्त किया गया और ना ही आरोपी सचिन का फोन जप्त किया गया। घटना के समय आरोपी संतोष और सचिन के बीच मोबाईल फोन से वार्तालाप हुई हो, इस संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा कोई सी.डी.आर. भी विवेचना के दौरान प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्षी मुकेश अ.सा.–1 एवं ओमप्रकाश अ.सा.–3 के अनुसार घटना के समय घ टनास्थल पर आरोपी संतोष मौजूद ही नहीं था।

53– आहत ओमप्रकाश के अनुसार घटना कारित करने के लिए पिस्टल का प्रयोग किया गया। विवेचना के दौरान ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है कि आरोपी संतोष ने घटना कारित करने के लिए आरोपी सचिन को पिस्टल और कारतूस उपलब्ध कराया हो। इस प्रकार आरोपी संतोष एवं सचिन के मध्य ओमप्रकाश की हत्या करने के लिए कोई षडयंत्र किया गया हो इस संबंध में कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोपीगण सचिन एवं संतोष द्वारा घटना के पूर्व ही ओमप्रकाश की हत्या किए जाने का षडयंत्र का तथ्य विधितः प्रमाणित नहीं है।

54– आरोपी संतोष पर धारा 307/34 भा.दं.सं. का आरोप विरचित किया गया है, ऐसे में यह भी देखा जाना है कि क्या आरोपी संतोष और सचिन ने मिलकर आहत ओमप्रकाश की हत्या या हत्या के प्रयत्न का कोई सामान्य आशय निर्मित किया था, और क्या आरोपी सचिन ने उक्त सामान्य

आशय के अग्रसरण में आहत ओमप्रकाश पर गोलियां चलायी थी?

55— धारा 34 भा.दं.सं. को आकर्षित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि अभियुक्तगण अपराध करने के लिए सहमत हुए। सामान्य आशय में कोई पूर्व व्यवस्थित योजना होती है और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि अभियुक्त के कार्य ऐसी पूर्व व्यवस्थित योजना के अनुशरण में सहमति से किया गया परंतु यह अपेक्षित नहीं है कि ऐसी योजना पर्याप्त समय पूर्व बनायी गई हो, वह अपराध करने के कुछ ही समय पूर्व या तत्काल ही बनायी जा सकती है। यह भी साबित करना होगा कि आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि सामान्य आशय किसी पूर्व योजना के परिणामस्वरूप हो। घटनास्थल पर भी सामान्य आशय निर्मित हो सकता है।

56— धारा 34 भा.दं.सं. के अधीन दोषसिद्धि के लिए यह भी आवश्यक है कि अभियुक्तों का कार्य किसी पूर्व नियोजित योजना के अधीन किया गया हो सिद्ध किया जावे। इस योजना को या आशय को सिद्ध करने की प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। सामान्य आशय का निष्कर्ष अभियुक्तों के कार्य, आचरण तथा अन्य सुसंगत परिस्थिति से निकाला जा सकता है।

57— साक्षी मुकेश पुरी अ.सा.—1 ने बताया है कि सचिन ने उसके भाई ओमप्रकाश को पिस्टल से गोली मारी थी। आहत ओमप्रकाश पुरी अ.सा. —3 ने बताया है कि आरोपी सचिन ने उसे रोका और सीने पर तीन गोलियां मारी थी। उक्त दोनों साक्षियों ने घटनास्थल पर आरोपी संतोष की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया है। साक्षी ओमप्रकाश अ.सा.—3 ने मात्र यह बताया है

कि आरोपी संतोष मोबाईल पर यह कह रहा था कि इसको गोली मार दो किंतु प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि जिस समय सचिन ने उसे रोका उस समय तत्काल आरोपी संतोष का फोन नहीं आया था अर्थात आरोपीगण ने ओमप्रकाश की हत्या का सामान्य आशय निर्मित किया हो ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। ऐसे में सामान्य आशय के संबंध में कोई परिस्थिति अभियोजन की ओर से साबित की गई हो यह भी देखा जाना चाहिए। साक्षी मुकेश अ.सा.—1 एवं ओमप्रकाश अ.सा.—3 ने घटना के पूर्व आरोपी सचिन और संतोष ने ओमप्रकाश की हत्या के संबंध में कही मिले हो और हत्या के संबंध में सामान्य आशय निर्मित किया हो या दोनों आरोपीगण के मस्तिष्क का पूर्व मिलन हत्या के संबंध में हुआ हो ऐसा साक्षी ने नहीं बताया है। संतोष द्वारा फोन करने के संबंध में साक्षी ओमप्रकाश ने बताया है किंतु विवेचना के दौरान ना तो आरोपी संतोष का फोन जप्त किया गया और ना ही आरोपी सचिन का फोन जप्त किया गया। घटना के समय आरोपी संतोष और सचिन के बीच मोबाईल फोन से बातचीत हुई हो, इस संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा कोई सी.डी.आर. भी विवेचना के दौरान प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया।

58— साक्षी मुकेश अ.सा.—1 एवं ओमप्रकाश अ.सा.—3 के अनुसार घ टना के समय घटनास्थल पर आरोपी संतोष मौजूद ही नहीं था। आहत ओमप्रकाश के अनुसार घटना कारित करने के लिए पिस्टल का प्रयोग किया गया। विवेचना के दौरान ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है कि आरोपी संतोष ने घटना कारित करने के लिए आरोपी सचिन को पिस्टल और कारतूस उपलब्ध कराया हो। इस प्रकार आरोपी संतोष एवं सचिन के मध्य ओमप्रकाश की हत्या करने के लिए सामान्य आशय निर्मित किया गया हो इस

संबंध में कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। चक्षुदर्शी साक्षी मुकेश अ.सा.–1 एवं ओमप्रकाश अ.सा.–3 के अनुसार घटनास्थल पर आरोपी सचिन ने ही ओमप्रकाश पर गोली चलायी थी, आरोपी संतोष मौके पर मौजूद नहीं था, ऐसे में आरोपी संतोष द्वारा आरोपी सचिन के साथ मिलकर ओमप्रकाश की हत्या किए जाने का सामान्य आशय निर्मित किया जाना विधितः प्रमाणित नहीं है। आरोपी संतोष का सामान्य आशय प्रमाणित ना होने से धारा 307 / 34 भा.दं. सं. के अंतर्गत आरोपी संतोष का मामला भी संदेह के परे प्रमाणित नहीं है।

59– न्यायदृष्टांत **एनिमी रेड्डी वेंकटरमन विरूद्ध पब्लिक प्रासीक्विटर हाई कोर्ट ऑफ आंधप्रदेश ए.आई.आर. 2008 (5) एस.सी.सी. 368** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त एवं अभियोजन पक्ष के मध्य रंजिश थी यह नहीं कहा जा सकता कि एक आहत साक्षी मिथ्या कथन कर रहा है। ऐसे साक्षीगण द्वारा दिए गए वृतांत की सत्यता को अन्य परिस्थितियों से सत्यापित किया जा सकता है और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन द्वारा दर्शायी गई परिस्थिति में क्या उनका वृतांत सत्यपूर्ण व स्वीकार योग्य है। मात्र इस आधार पर कि साक्षी का अभियुक्तगण के साथ रंजिशपूर्ण संबंध है साक्षी की साक्ष्य को आटोमेटिक तौर पर निरस्त नहीं किया जा सकता। साक्षी मुकेश अ.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि पुरानी रंजिश एवं जमीन बंटवारे के कारण आरोपीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है। इससे इंकार किया है कि पुरानी रंजिश के कारण आज झूठा कथन कर रहा है।

60– आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना से पूर्व आगर की जमीन में से कुछ हिस्सा उसके द्वारा विकय किया गया था। इससे इंकार किया है कि उसके पिताजी ने आरोपी

संतोष को बुलाया था कि तेरे हिस्से के रूपये तू लेकर चले जा। इससे इंकार किया है कि संतोष उसके पिता के बुलाने पर आगर रूपये लेने आया था। इससे इंकार किया है कि वह जब रूपये लेने आया तब उसने व उसके भाईयों ने संतोष पर और सचिन पर लकड़ी व डंडो, तलवार से प्राणघातक हमला किया था। इससे इंकार किया है कि उसके खिलाफ सचिन लोगों को जान से मारने के प्रयास का मुकदमा आगर न्यायालय में वर्तमान में भी चल रहा है। आरोपी सचिन ने आहत ओमप्रकाश के खिलाफ कोई रिपोर्ट की हो ऐसा कोई दस्तावेज आरोपी सचिन की ओर से साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान ना तो प्रस्तुत किया गया और ना ही प्रदर्शित कराया गया। साक्षी मुकेश एवं ओमप्रकाश ने प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि रंजिश के कारण आरोपीगण के विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। उक्त दोनों साक्षियों के न्यायालयीन कथन एवं पुलिस कथन में कोई तात्विक विरोधाभास एवं लोप भी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में भी आरोपीगण से रंजिश के कारण साक्षी झूठा कथन कर रहे हो ऐसा प्रमाणित नहीं है।

61— आरोपी सचिन का यह बचाव है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग किया गया है। यह पता लगाने के लिए कि क्या अभियुक्त को निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध है और पूरी घटना की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। धारा 97 भा.दं.सं. के अंतर्गत निजी बचाव के अधिकार की विषय वस्तु से संबंधित है जिसमें अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर और संपत्ति शामिल है। ऐसी परिस्थिति में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है कि उसके पास निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था। केवल इसलिए कि झगडा हुआ और कुछ अभियुक्त को चोटें आयी, इससे मात्र निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है जो आहतगण को गंभीर

उपहति कारित करने से हत्या के प्रयत्न की सीमा तक का हो। प्रतिरक्षा के अधिकार को तराजू में नहीं तोला जा सकता लेकिन यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बारे में इतने गंभीर आंशकित थे कि उसके अनुसरण में आहतगण को गंभीर उपहति कारित की गई एवं इस संबंध में जहां ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो वहां अभियुक्तगण द्वारा लिए बचाव को खारिज किया जा सकता है।

62– ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि घटना के समय भी पहले उसने और उसके भाई ने सचिन पर जानलेवा हमला किया था। जबकि आरोपी सचिन ने स्वयं का बचाव साक्षी के रूप में परीक्षण कराया है किंतु उक्त साक्षी सचिन ब.सा.–1 ने अपने परीक्षण में यह कहीं भी नहीं बताया कि घटना के दौरान आहत ओमप्रकाश या उसके भाई मुकेश ने उस पर पहले हमला किया। ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है कि आहत के हमले से आरोपी को इस स्तर का प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो गया कि आरोपी सचिन को आहत ओमप्रकाश पर गोली चलाना पडा। आरोपी सचिन ने आहत द्वारा उस पर हमला किया रहा हो इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी नहीं किया है ना ही आरोपी सचिन को हमले में कोई चोट आयी हो ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया हो। फलतः प्राईवेट प्रतिरक्षा का लिया गया बचाव भी प्रमाणित नहीं होता है।

63– आरोपी सचिन पुरी ने यह भी बचाव लिया है कि घटना के दौरान वह घटनास्थल पर नहीं था बल्कि घटना के दिन भोपाल में था। अभियुक्त परीक्षण में अपने बचाव में यह बताया है कि घटना के दिन वह भोपाल में था अर्थात आरोपी सचिन ने अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक लिया है, जिसे प्रमाणित करने का भार आरोपी सचिन पर है।

64– इस प्रकरण में आरोपी सचिन ने अन्यत्र उपस्थित होने का बचाव भी लिया है। न्यायदृष्टांत **रमेश कांछी बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2019 (4) एम.पी.एल.सी. 168 मध्यप्रदेश** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त जहां अन्यत्र होने का अभिवाक लेता है तो उसे इस तथ्य को कि वह घटनास्थल से दूर था, उसका अपराध में भाग लेना अत्यधिक तौर पर असंभव था आत्यांतिक निश्चितता के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए। अभियुक्त के द्वारा अपनी इस प्रतिरक्षा के समर्थन इस मानक कि व इस प्रकृति की साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायालय घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के संबंध में युक्तियुक्त संदेह होना माने।

65– सचिन पुरी ब.सा.–1 ने बताया है कि घटना दिनांक 04.07.2018 को वह अपने घर ड्रीमसिटी तलावली चांदा इंदौर में था। उसे घटना की जानकारी मोबाइल के जरिये प्राप्त हुई थी जो उसके मामाजी कैलाश गोस्वामी निवासी आगर के द्वारा दी गयी थी उन्होने बताया कि तुम्हारे पिता ओमप्रकाश पुरी को मुकेश पुरी के साले जिनका नाम उसे याद नही है, द्वारा गोली मारी गयी है। उसे उसके मामाजी ने यह भी जानकारी दी थी कि मुकेश पुरी ने ओमप्रकाश पुरी पर हमला करने की रिपोर्ट उसके विरूद्ध की है। उसके बाद उसने अपने वकील को फोन किया था। वकील ने उससे कहा कि उक्त रिपोर्ट की वह जानकारी निकालेगा। बाद में उन्होने फोन करके बताया कि उसके एवं उसके भाई संतोष पुरी के खिलाफ थाना आगर में धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया गया है। तब उसने अपने वकील को बताया कि वह इंदौर में है एवं उसका भाई संतोष पुरी मनाली उत्तराखंड में है तो प्रकरण कैसे दर्ज हो सकता है। उसने अपने वकील को बताया कि उसकी लोकेशन इंदौर की है एवं उसके भाई की लोकेशन मनाली की है।

फिर उसे जानकारी हुयी कि अब फैसला न्यायालय में होगा। उसके पिता और मुकेश पुरी ने उसके भाई संतोष को तलवार से मारा था जिसमें उनको सजा हो गयी थी। उक्त रंजिश के कारण एवं जमीन में हिस्सा नही देने के कारण उसे झूठा फसाया गया है। उसने पुलिस को अपने इंदौर में होने का सीसीटीवी फुटेज पेनड्राइव में दिया था। उसे उसके परिवार एवं पिता द्वारा झूठा फंसाया गया है।

66– सचिन पुरी ब.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि इंदौर में उसके विरूद्ध एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज है। उसे इस बात की जानकारी नही है कि भंवरकुंआ थाना इंदौर, लसुड़िया थाना इंदौर में उसके विरूद्ध कितने प्रकरण दर्ज है। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन उसे जानकारी मिल गयी थी उसके विरूद्ध थाना आगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसने अपने खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किये जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व पुलिस अधिक्षक को कोई शिकायत नही की थी। घटना के 6–7 महीने उपरांत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसने 6–7 महिने के बीच भी किसी पुलिस अधिकारी गलत मुकदमें में फंसाये जाने की शिकायत नही की थी। उसने आज कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह प्रकट हो कि वह घटना दिनांक को इंदौर में था। स्वतः बताया है कि उसने पुलिस को अपनी लोकेशन एवं सीसीटीवी फुटेज दी थी।

67– आरोपी सचिन ने अभियुक्त परीक्षण के दौरान घटना के दिन भोपाल में होना बताया है, जबकि बचाव साक्षी के रूप में कथन दिए जाने के दौरान आरोपी सचिन ने घटना के दिन इंदौर स्थित अपने निवास में होना बताया है। इस प्रकार आरोपी सचिन ने दो अलग–अलग स्थान पर

अपनी उपस्थिति घटना के दिन बताया है। आरोपी सचिन ने यह भी बताया कि उसे उसके मामा कैलाश गोस्वामी ने घटना के बारे में घटना के दिन ही जानकारी दी थी। ऐसे में कैलाश गोस्वामी भी महत्वपूर्ण साक्षी बचाव साक्ष्य के रूप में हो सकता था किंतु आरोपी सचिन ने उसे प्रस्तुत नहीं किया है। आरोपी सचिन ने यह भी बताया है कि उसके अधिवक्ता ने उसे यह बता दिया था कि तुम्हारे एवं तुम्हारे भाई संतोष के खिलाफ थाना आगर में धारा 307 भा.दं.सं. का प्रकरण दर्ज हो गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक को कभी कोई शिकायत नहीं की थी। घटना के 6–7 माह उपरांत उसे पुलिस ने गिरफतार किया किंतु इस बीच भी उसने कभी गलत मुकदमे में फंसाए जाने की शिकायत किसी पुलिस अधिकारी से नहीं की थी। इस प्रकार यदि आरोपीके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज किया गया होता तो आरोपी के द्वारा सक्षम पुलिस अधिकारी को शिकायत की गई होती किंतु आरोपी के द्वारा कोई शिकायत भी नहीं की गई है तथा आरोपी ने एक ही दिन में दो अलग–अलग स्थान में रहने का बचाव लिया है जो भी विश्वास योग्य नहीं है।

68– आरोपी सचिन ने बताया है कि उसने पुलिस को इंदौर में होने का सी.सी.टी.वी. का फुटेज पैन ड्राईव में दिया था। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि वह घटना दिनांक को इंदौर में था स्वतः बताया है कि उसने पुलिस को सी.सी.टी.वी. फुटेज और लोकेशन दी थी। यदि आरोपी घटना दिनांक को इंदौर में होता और उसके संबंध में उसके पास लोकेशन और किसी स्थान का सी.सी.टी.वी. फुटेज उपलब्ध था तो वह विवेचना के

दौरान या फिर विचारण के दौरान किसी भी स्तर पर न्यायालय में अपने सी.सी.टी.वी. फुटेज और लोकेशन के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था किंतु आरोपी सचिन के द्वारा ना तो विवेचना के दौरान और ना ही न्यायालय में विचारण के दौरान कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज या लोकेशन का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। विवेचना अधिकारी रामचंद्र नागर अ.सा.–6 को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि आरोपी सचिन घ टना दिनांक को घटना स्थल पर नहीं था। ऐसा भी कोई सुझाव नहीं है कि विवेचना के दौरान आरोपी ने अपने अन्यत्र स्थान पर होने के संबंध में कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज या लोकेशन का दस्तावेज दिया हो। चक्षुदर्शी साक्षी मुकेश पुरी और आहत ओमप्रकाश को भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के दिन आरोपी सचिन घटना स्थल पर नहीं था। आरोपी सचिन आहत ओमप्रकाश का पुत्र है और आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 ने स्पष्ट बताया है कि आरोपी सचिन ने ही उसे रोककर गोली मारी थी। फलतः उपरोक्त विवेचना से आरोपी सचिन का घटना दिनांक को घटना स्थल से अन्यत्र उपस्थित होने का बचाव प्रमाणित नहीं होता है।

69– न्यायदृष्टांत **बलवान शाह विरूद्ध म.प्र. राज्य 2003 सुप्रीम (एम. पी.) 1208** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि जहां आहत का कथन समय पर लिया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट भी समय पर दर्ज कर लिया गया तथा आहत के कथन प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के कथन और चिकित्सीय रिपोर्ट से समर्थित है वहां आरोपी को सही दोषसिद्ध ठहराया गया।

70– न्यायदृष्टांत **विजय कुमार विरूद्ध स्टेट 2013 कि.लॉ.ज. एन. ओ.सी. 582 देहली** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि भा.दं. सकी धारा 307 के मामले में न्यायालय को यह ज्ञात करना होता है कि क्या

कृत्य को भा.दं.स. की धारा 307 में वर्णित आशय अथवा जानकारी से किया गया था चाहे इसका परिणाम कुछ भी रहा हो। भा.दं.सं. की धारा 307 अभियुक्त के आशय एवं जानकारी के बाबत् जांच की अपेक्षा करती है और यह प्रत्येक मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर होगा कि क्या अभियुक्त का मृत्यु कारित करने का आशय था अथवा उसे उन परिस्थितियों की जानकारी थी कि उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो सकती है। अभियुक्त के आशय या जानकारी को अवधारित करने के लिए इन तथ्यों को सुसंगत माना गया। उपयोग किए जाने वाले हथियार की प्रकृति, कृत्य के समय अभियुक्त के द्वारा व्यक्त आशय, हेतुक, क्षतियों की प्रकृति व आकार, आहत के शरीर के कौन से भाग पर क्षतियां पहुंचायी गई है एवं चोट अथवा चोटों की गंभीरता के माध्यम से यह निर्धारित किया जा सकता है कि आरोपित अपराध धारा 307 की परिधि में आता है अथवा नहीं। धारा 307 भा.दं.सं. के परिधि में आने के लिए यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या चिकित्सक ने आहत की जो मेडिकल रिपोर्ट दिया है उसमें वर्णित क्षतियों में से कोई क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जीवन के लिए खतरनाक थी और क्या आहत के शरीर के मार्मिक अंग पर किसी घातक आयुध की उपहति कारित की गई है।

71— न्यायदृष्टांत **हरिओमसिंह बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2015 (3) एम.पी.एच.टी. 274 मध्यप्रदेश** के मामले में भी यह अवधारित किया गया है कि भा.द.सं. की धारा 307 के अपराध में न्यायालय को कृत्य को देखना होता है ना कि इसके परिणाम को देखा जाना होता है कि क्या कृत्य इस धारा में वर्णित आशय अथवा जानकारी एवं परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया था। आशय को विभिन्न परिस्थिति से ना कि परिणाम से हासिल

किया जाना चाहिए जैसे हथियार की प्रकृति क्या थी, किस रीति से इसका उपयोग किया गया, अपराध का हेतुक क्या था, चोट की गंभीरता क्या थी, शरीर के किस भाग पर क्षति को पहुंचाया गया। ऐसे कारक माने गए जिनके आधार पर आशय का अवधारण किया जा सकता है।

72– न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम रविंद्र 2020 (1) म.प्र.वि.नो. 32 सु.को.** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि जहां मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य में कोई घोर भिन्नता होना नहीं पाया जाएं ऐसे में दोषसिद्धि किया जाना चाहिए।

73– इस प्रकरण में आहत ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने बताया है कि आरोपी सचिन पुरी और उसके एक अज्ञात साथी ने उनकी मोटरसाईकल को रोका था और आरोपी सचिन ने उसे कहा कि उसे जमीन चाहिए नहीं दोंगे तो गोली मार देगा और आरोपी सचिन ने उक्त बात कहते कहते तीन गोलियां उसके सीने में मारी थी जिसमें एक गोली उसके सीने में फंसी हुई है तथा एक डॉक्टर ने उसके शरीर से निकाल दी थी। प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट बताया है कि पहली गोली लगने से अपनी गाडी से नीचे गिर गया। साथ में आरोपी ने तडातड गोली चला दी थी। आहत ओमप्रकाश द्वारा किया गया उक्त कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखंडित रहा है।

74– घटनास्थल पर आहत ओमप्रकाश के साथ उसका भाई मुकेश पुरी भी मौजूद था। मुकेश पुरी अ.सा.–1 ने भी आहत ओमप्रकाश पुरी के कथन एवं घटना का समर्थन करते हुए यही बताया है कि इंदौर–कोटा रोड ग्राम बर्डा बरखेडा जोड़ पर सामने से सचिन और उसके एक साथी मोटरसाईकल से आए और उसके भाई ओमप्रकाश को रोक दिया और उसके भाई ओमप्रकाश को धमकी दी कि जमीन दे दे नहीं तो जान से मार देगा

और आरोपी सचिन ने आहत ओमप्रकाश को गालियां देते हुए पिस्टल निकाला और उसके भाई ओमप्रकाश को तीन गोलियां सीने पर मारी थी। गोली लगने से ओमप्रकाश गिर गया। आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 और साक्षी मुकेश अ.सा.–1 के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उक्त दोनों साक्षियों के कथन पर अविश्वास किया जा सके। उक्त दोनों साक्षियों द्वारा किया गया कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखंडित रहा है।

75– आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 ने आरोपी सचिन द्वारा गोली मारने से अपने सीने में चोटे आना बताया है। आहत ओमप्रकाश द्वारा जो चोटें बतायी गई है उसका समर्थन करते हुए चिकित्सक साक्षी डॉ. संदीप नाहटा अ.सा.–9 ने भी आहत की दाहिनी छाती पर एक गोलाकार घाव जिसका आकार 2.5 गुणा 2.5 सेमी चौथी और पांचवी पसली के बीच में, आहत के दाहिनी छाती पर एक गोलाकार घाव जिसका आकार 2.5 गुणा 2.5 सेमी छठवी से सातवी पसली के बीच में, आहत के शरीर पर एक गोलाकार घाव आठवी पसली के पास, आहत के शरीर के दाहिनी छाती के पिछले हिस्से पर एक गोलाकार घाव आकार 2 गुणा 2 सेमी होना बताया है अर्थात आहत द्वारा बतायी गई चोटे चिकित्सक साक्षी के कथन से भी समर्थित है।

76– इस प्रकार आहत ओमप्रकाश ने आरोपी सचिन द्वारा तीन गोलियां मारे जाने के बारे में बताया है तथा डॉ. संदीप नाहटा ने भी आहत के दाहिनी छाती पर तीन गोलाकार घाव होना बताया है। आहत ओमप्रकाश ने यह भी बताया कि एक गोली उसके सीने के पार हो गई थी, एक गोली डॉ. ने उसके शरीर से निकाला और एक गोली उसके सीने में फंसी हुई है। आहत के अनुसार एक गोली उसके सीने से पार हो गई थी अर्थात आहत ओमप्रकाश के पीठ पर गोली बाहर निकलने का एक निकासी घाव (एक्जीट

वुण्ड) होना चाहिए और डॉ. संदीप नाहटा ने आहत ओमप्रकाश के दाहिनी छाती पर पिछले हिस्से पर चोट क्रमांक 4 गोलाकार घाव होना बताया है अर्थात एक्जीट वुण्ड के बारे में बताया है जिससे आहत ओमप्रकाश द्वारा जो चोटें बतायी गई वह मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.–24 से भी समर्थित है।

77– आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 ने यह भी बताया कि उसे ईलाज के लिए आगर से उज्जैन रैफर किया फिर वहां से इंदौर रैफर किया था जहां उसका ईलाज हुआ था। डॉ. प्रदीप पोखरना अ.सा.–11 ने अपने कथन में स्पष्ट बताया कि दिनांक 04.07.2018 को ओमपुरी पिता कचरूपुरी गोवास्मी को मरणासन्न अवस्था में लाया गया था। उसने जांच में पाया था कि मरीज की दांयी छाती में दो घाव छाती के आगे के हिस्से में, एक छाती के दांयी तरफ और एक छाती के पीछे तरफ था। मरीज का ऑपरेशन कर छाती के दाहिनी ओर एक नली डाली गई और छाती में जमा खून व हवा को बाहर निकाला गया। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसके द्वारा जांच करते समय मरीज की स्थिति ठीक थी स्वतः बताया है कि मरीज का ब्लड प्रेशर कम था, उसे सांस नहीं आ रही थी और आक्सीजन लेवल भी कम था। इससे इंकार किया है कि दिनांक 04.07.18 एवं 05.07.18 को आहत मरणासन्न की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार डॉ. प्रदीप पोखरना ने भी आहत की छाती में सामने की तरफ तीन घाव और पीछे की तरफ एक घाव होना बताया है तथा मरीज को मरणासन्न स्थिति में होना बताया है। आहत एवं चिकित्सक साक्षी द्वारा किए गए कथन से आहत की छाती पर आरोपी सचिन ने पिस्टल से तीन गोलियां चलायी थी जो आहत के छाती पर पहुंचायी गई चोट शरीर के मार्मिक अंग पर है। आरोपी द्वारा पिस्टल अर्थात अग्नायुध से आहत के सीने पर तीन गोली मारी गई जिससे आहत की छाती में खून एवं

हवा भर गया और आहत मरणासन्न स्थिति में चला गया जिससे उपरोक्त परिस्थिति में उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टांतों के आलोक में घटना में प्रयुक्त किये गये आयुध पिस्तोल और आहत के मार्मिक स्थान सीने पर चलाई गई तीन गोलियों से आरोपी सचिन द्वारा आहत ओमप्रकाश की हत्या कारित करने के आशय से ही उस पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास किए जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है।

78– प्रकरण में घटना दिनांक को ही तत्परता से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–1 दर्ज करा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता मुकेश पुरी अ.सा.–1 के न्यायालयीन कथन, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–1 तथा साक्षी मुकेश पुरी के पुलिस कथन में भी कोई तात्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है। आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3 के न्यायालयीन कथन एवं पुलिस कथन में भी कोई तात्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है। आहत ओमप्रकाश द्वारा बतायी गई चोटे चिकित्सक साक्षी डॉ. संदीप नाहटा अ.सा.–9, प्रदीप पोखरना अ.सा.–11 के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.–24 तथा प्र.पी.–27 लगायत 35 से समर्थित है। आरोपी सचिन द्वारा बचाव में प्राईवेट प्रतिरक्षा एवं अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में लिया गया बचाव भी प्रमाणित नहीं है। जहॉ अभियोजन के मामले का समर्थन चिकित्सक साक्षी के कथनों से होता है एवं आहत साक्षी के कथन में कोई दुर्बलता न हो वहॉ भी अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस सबंध में **न्यायदृष्टांत** **<u>भावला बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.,2005(2)जे.एल.जे.403</u>** अवलोकनीय है। फलतः आरोपी **सचिन** के विरूद्ध आहत ओमप्रकाश के संबंध में धारा 341, 307 भा.द.सं. का आरोप संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है।

79– अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी

सचिन ने आहत ओमप्रकाश को स्वेच्छया उपहति कारित किया था। आहत ओमप्रकाश ने आरोपी सचिन को कोई प्रकोपन दिया हो ऐसा साक्ष्य से प्रकट नहीं है, साक्षियों के कथन से अथवा बचाव में ऐसा भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के वशीभूत होते हुए अथवा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आरोपी सचिन ने आहत ओमप्रकाश पर गोली चलायी थी। फलतः आरोपी सचिन द्वारा की गई घटना भी स्वेच्छया किया जाना प्रमाणित होता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में</u> :–

80– मुकेश अ.सा.1 ने बताया है कि आरोपी सचिन ने नंगी–नंगी गाली दी और मादरचोद कहा था। आहत ओमप्रकाश पुरी अ.सा.–3 ने बताया है कि आरोपी सचिन ने उसे गालियां दी थी किंतु स्वयं आहत ने आरोपी कौन–कौन सी गाली दिया इसके संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किया है। आत्माराम अ.सा.–2 ने गालियों के बारे में नहीं बताया है। आहत ओमप्रकाश एवं साक्षी मुकेश ने गालियां सुनकर क्षोभ कारित होने के संबंध में नहीं बताया है।

81– धारा–292 भा.द.वि. में अश्लीलता को बताया गया है जिसके अनुसार कोई पुस्तक पुस्तिका, कागज, लेख, रंगचित्र, रेखाचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जायेगा यदि वह कामोद्धीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रूचिकर है, या उसका या, जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां उसकी मद का प्रभाव, समग्ररूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाये जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है।

82– सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–294 के अनिवार्य संघटकों में से एक है। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी प्रवृति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है। जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है तथा जिनके कानों में ये शब्द पड़ सकते है पद अश्लीलता का उपयोग लैगिंक दुराचार तक निर्बन्धित है। अतः शब्द ऐसे होने से जिनसे यौन इच्छायें और कामुक विचार उत्तेजित हो। केवल कामुक टिप्पड़ियॉ अश्लील कही जा सकती है।

83– **न्यायदृष्टांत** **<u>ओमप्रकाश विरूद्ध म0प्र0 राज्य, 1989 एम0पी0एल0जे0 657</u>** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गालियों को शाब्दिक अर्थ नहीं दिया जा सकता। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी प्रवृति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है, जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। व्यक्ति की कुद्ध मानसिक अवस्था व्यक्त करने वाले मात्र सामान्योक्तियॉ भा.दं.सं. की धारा–294 के उपबंध आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगें। अतः अशिष्ट गालियों मात्र से धारा–294 भा.दं.वि. के अधीन अपराध गठित नहीं होता। अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि आरोपी द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के थे, किन्तु आहत ओमप्रकाश अ.सा.–3, मुकेशपुरी अ.सा.–1 ने आरोपी सचिन द्वारा दिए गए गाली की अश्लील प्रकृति एवं अश्लील शब्द सुनकर क्षोभ कारित होने के बारे में नहीं बताया है। फलतः उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी सचिन ने घटना दिनांक को फरियादी को लोकस्थान या उसके समीप में

अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था। उक्त सबंध में **न्यायदृष्टांत** **<u>शरद दवे विरूद्व महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152</u>** अवलोकनीय है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 8 के संबंध में</u> :–

84– ओमप्रकाश अ.सा.–3 ने घटना के दौरान जान से मारने की धमकी के बारे में नहीं बताया है। मुकेश अ.सा.–1 ने भी घटना के उपरांत आरोपी सचिन द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई हो ऐसा नहीं बताया है। आत्माराम अ.सा.–2 ने भी धमकी के बारे में कोई कथन नहीं किया है। साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में यह भी नही बताया है कि वे आरोपी सचिन की धमकी सुनकर भयभीत हो गये या उन्हें जान का भय पैदा हो गया था। उक्त साक्षियों ने यह नहीं बताया है कि आरोपी सचिन ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपी सचिन का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपी सचिन द्वारा फरियादी एवं आहत को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त सबंध में **न्यायदृष्टांत** **<u>शरद दवे विरूद्व महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152</u>** अवलोकनीय है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 6 एवं 7 के संबंध में :–</u>

85– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 10.11.2018 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय इंदौर से आरोपी सचिन की फॉर्मल गिरफ्तारी बाबत् पत्र लेख कर अनुमति प्राप्त की थी उक्त पत्र प्रपी–9 है। अभिलेख के साथ संलग्न रिमाण्ड

पत्रावली से यह भी प्रकट है कि आरोपी सचिन को औपचारिक गिरफतार करने के उपरांत कमिटल न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2018 को आरोपी सचिन पुरी को प्रस्तुत किया गया था एवं उक्त दिनांक को आरोपी सचिन को इस प्रकरण में पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर उसका मेमोरेण्डम लिया गया एवं जप्ती की कार्यवाही की गई थी।

86– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि दिनांक 01.12.2018 को आरोपी सचिनपुरी द्वारा साक्षीगण परवेज व रफीक के समक्ष जानकारी दी थी कि घटना में उपयोग लाई गई मोटरसायकिल थाना कानड़ में पुलिस ने उससे जप्त की है तथा पिस्टल व एक कारतूस उसने घर के सूटकेस में छिपाकर रखा है चलो चलकर बरामद करा देगा। आरोपी सचिनपुरी की जानकारी के आधार पर उसने धारा–27 साक्ष्य अधि. का मेमोरेंडम प्र.पी.–4 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी का झूठा मेमोरेण्डम लेखबद्ध किया।

87– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उक्त दिनांक 01.12.2018 को ही आरोपी द्वारा दिए गये मेमो मुताबिक आरोपी का फ्लेट नंबर–107 के बेडरूम में रखे सूटकेस में से आरोपी सचिन के द्वारा निकालकर पेश करने पर एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की जिसका फायर पिन व ट्रेगर चालू हालत में था, पिस्टल में मैंगजीन लगा होकर पिस्टल के हत्थे पर दोनों साईड वाली काली प्लेट स्क्रू से कसी है, एक जिंदा कारतूस पीतल की बॉडी वाला जिसके पेंदे पर के.एफ. 7.65 लिखा है को जप्त कर सीलबंद कर जप्ती चिट चस्पा कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–5 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी सचिन के घर से पिस्टल एवं जिंदा कारतूस जप्त नहीं किया था।

88– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 04.07.2018 की है। यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर 05.07.2018 को गया था। इससे इंकार किया है कि घटनास्थल एक दिन बाद तक सुरक्षित नहीं रह सकता है, स्वतः बताया है कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल पर जो जप्ती की कार्यवाही की थी उसे मौके पर ही सीलबंद किया था। यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर से उसे कारतूस का खाली खोखा नहीं मिला था। इससे इंकार किया है कि जिंदा कारतूस आसानी से बाजार में खरीदा जा सकता है। इससे इंकार किया है कि उसने गिरफ्तारी के समय सचिन से जिंदा कारतूस जप्त किया था।

89– रफीक अ.सा.–4 ने बताया है कि वह वी.सी. से उपस्थित आरोपी सचिनपुरी को पहचानता है। पुलिस ने उसके सामने कट्टे के संबंध में लिखापढ़ी की थी उस समय आरोपी सचिन वहां मौजूद था लिखापढ़ी थाने पर की थी। आज उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस उसे अपने साथ कहीं लेकर गई थी या नहीं। पुलिस ने थाने में उसे टेबल पर कट्टा और कारतूस रखा हुआ दिखाया था। उसे आज ध्यान नहीं है कि उक्त कट्टा कहां से लाए थे। आरोपी सचिन से पुलिस पूछताछ कर रही थी, किन्तु उसे ध्यान नहीं है कि क्या पूछा था। आरोपी सचिन टेबिल पर बैठा हुआ था और वह भी किनारे में बैठा हुआ था। मेमारेडंम प्रपी–4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। संपत्ति जप्ती पत्रक प्रपी–5 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

90– रफीक अ.सा.–4 को पक्षविरोधी घोषित किए जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी सचिनपुरी ने उसके सामने पुलिस को जानकारी दी थी कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं कारतूस उसने अपने घर में सूटकेस

में छिपाकर रखी है, चलो चलकर बरामद करा देगा। इससे इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी संतोषपुरी के घर–107 ड्रीम सिटी, देवास नाका, इंदौर से बेडरूम में रखे सूटकेस में से निकालकर एक पिस्टल सिल्वर कलर की एवं एक जिंदा कारतूस पीतल की बॉडी वाला जप्त किया। इससे इंकार किया है कि वह आरोपीगण से मिल गया है इसलिए आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। इस प्रकार साक्षी रफीक ने अपने समक्ष आरोपी के निवास से आयुध जप्त किए जाने की घटना का समर्थन नहीं किया है।

91– रफीक अ.सा.–4 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पंचनामा मेमोरेंडम थाना आगर में बनाया गया था। यह स्वीकार किया है कि कट्टा और कारतूस उसके सामने जप्त नहीं किया था, स्वतः बताया कि जब लिखापढ़ी कर रहे थे तब कट्टा और कारतूस उसके सामने ही थे। इससे इंकार किया है कि पुलिस ने उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे।

92– परवेज अ.सा.–5 ने बताया है कि वह वी.सी. से उपस्थित आरोपी सचिनपुरी को नहीं पहचानता है। पुलिस ने उसके सामने कोई लिखापढ़ी नहीं की थी साक्षी ने मेमारेडंम प्रपी–4 एवं संपत्ति जप्ती पत्रक प्रपी–5 पर अपना हस्ताक्षर होना बताया हैं।

93– परवेज अ.सा.–5 को पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी सचिनपुरी ने बताया था कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं कारतूस उसने अपने घर में सूटकेस में छिपाकर रखी है, चलो चलकर बरामद करा देगा। इससे इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी संतोषपुरी के घर–107 ड्रीम सिटी, देवास नाका, इंदौर से बेडरूम में रखे सूटकेस में से निकालकर एक पिस्टल सिल्वर कलर की एवं एक जिंदा

कारतूस पीतल की बॉडी वाला जप्त किया था। इससे इंकार किया है कि वह आरोपीगण से मिल गया है, इसलिए आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। साक्षी परवेज ने भी आरोपी से आयुध जप्ती के तथ्य का समर्थन नहीं किया है।

94— उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षीगण रफीक एवं परवेज ने मेमोरेण्डम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना बताया है। साक्षी रफीक अ.सा.—4 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जब कट्टा और कारतूस की लिखापढी की गई तब वह उसके सामने ही था। आरोपी सचिन भी वही मौजूद था। साक्षियों को पुलिस ने हस्ताक्षर करने के लिए कोई भय दबाव या लालच दिया हो ऐसा कोई तथ्य नहीं है और यदि प्रकरण में जहां जप्ती के स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, ऐसे में मात्र उनके समर्थन न किए जाने से पूरे अभियोजन का मामला संदिग्ध नहीं हो जाता है और यदि प्रकरण में उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करता है तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर भी आरोपी की दोषसिद्धि की जा सकती है।

95— इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी रामचंद्र नागर अ.सा.—6 ने आरोपी सचिन के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके इंदौर स्थित मकान से देशी पिस्टल सिल्वर कलर फायर पिन व ट्रिगर चालू हालत में तथा एक नग जिंदा कारतूस जप्त करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी सचिन के घर से पिस्टल और जिंदा कारतूस जप्त नहीं किया था। पिस्टल और कारतूस जप्ती के संबंध में विवेचक साक्षी रामचंद्र

नागर का ही कथन है जो प्रतिपरीक्षण में भी अखंडित रहा है। पुलिस अधिकारी की साक्ष्य के मूल्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **करमजीत सिंह विरूद्ध राज्य (2003) 5 एस0सी0सी0 291** में यह अवधारित किया गया है कि– "The testimony of police personnel should be treated in the same manner as any other witness and there is no principle of law that without corroboration by independent witnesses police testimony cannot be relied upon. The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of a police personnel as any other persons and it is not proper judicial approach to disperse and suspect them without good grounds. It will all depend upon the facts and circumstances of each case and no principle of general application can be laid down."

96– रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि दिनांक 31.12.2018 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दंडाधिकारी आगर–मालवा को थाना आगर के अपराध क्रमांक–360/2018, धारा–341, 294, 307, 120बी भा.द.वि एवं धारा–25, 27 आर्म्स एक्ट में आरोपी के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति बाबत् पत्र प्र.पी.–10 लेखबद्ध किया था जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोजसिंह के हस्ताक्षर है, वह उनके अधीनस्थ रहकर कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर से परिचित है।

97– राजेन्द्र कुमार सोनी अ.सा.–8 ने बताया है कि वह दिनांक 14.01.2019 को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला आगर–मालवा में

आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। पुलिस अधीक्षक जिला आगर मालवा की ओर से पत्र क्रमांक–पु.अ. / आगर / रीडर / 549–ए / 18 दिनांक 31.12. 2018 से थाना आगर में दर्ज अपराध क्रमांक–360 / 2018 धारा–25, 27 आर्म्स एक्ट के मय प्रतिवेदन मूल केस डायरी एवं जप्तशुदा एक देशी पिस्टल सिल्वर कलर का सीलबंद प्राप्त हुआ एवं दो जिंदा कारतूस 32 बोर पीतल बॉडी जिसके पैंदे पर के.एफ. 7.65 बिना लायसेंस आरोपी सचिनपुरी पिता ओमप्रकाश पुरी गोस्वामी उम्र 32 वर्ष निवासी–107 / 503 आई.टी.बी. ड्रीम सिटी, देवास नाका, इंदौर थाना लसूल्डिया जिला इंदौर से जप्त किया गया जिसके संबंध में अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी। उक्त शस्त्र एवं कारतूस सीलबंद हालत में उपनिरीक्षक आर.सी. नागर थाना आगर जिला आगर–मालवा दिनांक 14.01.2019 को लेकर उपस्थित हुए।

98– राजेन्द्र कुमार सोनी अ.सा.–8 ने बताया है कि उक्त जप्तशुदा शस्त्र एवं कारतूस का एन.एस. राजावत अपर जिला दण्डाधिकारी जिला आगर–मालवा द्वारा सील खोलकर अवलोकन किया गया। आरोपी सचिनपुरी के द्वारा आयुध अधि. 1959 की धारा–39 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र.पी.–23 प्रदान की गई, जिसके ए से ए भाग पर एन.एस. राजावत अपर जिला दण्डाधिकारी जिला आगर–मालवा के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं।

99– राजेन्द्र कुमार सोनी अ.सा.–8 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा शस्त्र का निरीक्षण करते समय उसने उक्त शस्त्र को देखा था। इससे इंकार किया है कि अपर जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र का अवलोकन किए बिना अभियोजन की अनुमति प्रदान

कर दी थी। इस प्रकार विवेचनाकर्ता रामचंद्र नागर के द्वारा आरोपी सचिन से जो पिस्टल व एक जिंदा कारतूस जप्त किया गया, उसके संबंध में अभियोजन चलाने के लिए अभियोजन की अनुमति के संबंध में उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा आयुध का अवलोकन करने के उपरांत अभियोजन की अनुमति प्र.पी.–23 भी प्रदान किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सचिन ने आयुध के संबंध में उसके पास अनुज्ञप्ति रही हो ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

100– राजेन्द्रसिंह तोमर अ.सा.–7 ने बताया है कि दिनांक 31.12.2018 को पुलिस लाईन आगर में आरक्षक आर्म्स के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक–360/2018, धारा–25, 27 आर्म्स एक्ट में थाना कोतवाली की तहरीर क्रमांक–2504/18 दिनांक 30.12.2018 से जप्तशुदा एक 32 बोर का देशी पिस्टल एवं दो नग 32 बोर के रांउड सीलबंद हालत में उपनिरीक्षक आर.सी. नागर के हस्ते दिनांक 31.12.2018 में जप्ती रजिस्टर पेज नंबर–5 पर इंद्राज किया था। शस्त्र 32 बोर का फ्रेक्ट्री का बना एक देशी पिस्टल था। शस्त्र में ट्रीगर, फायरिंग पिन, हेमर चालू हालत में था। शस्त्र चालू हालत में था। शस्त्र लोहे का बना था जिसकी कुल लंबाई 8.5 इंच, बेरल की लंबाई 4.3 इंच, बॉडी की लंबाई 4.6 इंच स्लाईड की लंबाई 6.5 इंच एवं बट ग्रिड की लंबाई 3.5 इंच शस्त्र के साथ एक लोहे की मैग्जीन जिसकी लंबाई 4 इंच एवं चौड़ाई 1 इंच मैग्जीन कैंच बॉडी के नीचे की तरफ लगा हुआ बटग्रीड काली प्लॉस्टिक की दो प्लेटों का बना हुआ जो दो–दो लोहे के स्क्रू से कसा हुआ। शस्त्र की बेरल एवं बॉडी लोहे की थी।

101– राजेन्द्रसिंह तोमर अ.सा.–7 ने बताया है कि शस्त्र के साथ 32

बोर का एक नग जिंदा राउंड जो फेक्ट्री का बना है जिसकी कुल लंबाई 1 इंच थी। बॉडी पीतल की बनी हुई थी तथा बुलेट तांबे का बना था। राउंड के पैंदे पर अंग्रेजी में kf7.65 लिखा हुआ था। घटनास्थल से प्राप्त एम्यूनेशन एक नग जिंदा रांउड जो फेक्ट्री का बना हुआ था। जिसकी कुल लंबाई 1 इंच थी। बॉडी पीतल की बनी हुई थी तथा बुलेट तांबे का बना था। राउंड के पैंदे पर अंग्रेजी में kf7.65 लिखा हुआ था। उसके द्वारा थाने से आए कपड़े को पलटकर 32 बोर का पिस्टल एक नग रांउड एवं एवं एक नग घटनास्थल से प्राप्त राउंड को आर्म मोर्हिरिर की सील से सिलकर प्रतिवेदन तैयार किया था जो प्रपी–22 है।

102– राजेन्द्रसिंह तोमर अ.सा.–7 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने आयुध का परीक्षण करने के दौरान उसको खोलकर देखा और उसको चालू हालत में पाया था। परीक्षण के लिए फायरिंग पिन के उपर सिक्का लगाकर रखा जाता है और ट्रीगर दबाया जाता है और ट्रीगर दबाने पर सिक्का उछल जाए तो आयुध को चालू हालत में माना जाता है और उसने वैसा ही परीक्षण किया था जिसके आधार पर आयुध को कार्यरत अवस्था में होने की रिपोर्ट दी थी। उसके परीक्षण के दौरान उसके प्रभारी अधिकारी भोलाराम कुशवाहा भी उपस्थित थे। इससे इंकार किया है कि जो कारतूस उसने परीक्षण किया वह जिंदा नहीं थे स्वतः बताया है कि यदि कारतूस जिंदा हो तो उसकी पीछे के पैदें पर कोई चोंट के निशान नहीं होते। इस प्रकार साक्षी राजेंद्रसिंह तोमर के द्वारा आरोपी सचिन से जप्त आयुध एवं कारतूस का परीक्षण किया गया जिसके द्वारा उक्त पिस्टल कार्यरत दशा में होना एवं कारतूस का जिंदा होना पाया गया।

103– रामचंद्र नागर स.सा.–6 के परीक्षण के दौरान मालखाना से प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा आर्टिकल को सीलबंद अवस्था में आहुत किया गया जिसे न्यायालय के समक्ष खोला गया। आर.एफ.एस.एल. सागर से सीलबंद पैकेट 'सी' एक 7.65 एम.एम. केलीवर का कारतूस, पैकट 'ई' एक 7.65 एम.एम. केलीवर का कारतूस एवं पैकेट डी आर्टिकल ए–1 देशी कंट्रीमेड पिस्तौल है एंव आर्टिकल 'ए' खून आलूदा मिट्टी, आर्टिकल बी सादा मिट्टी आर.एफ.एस.एल. राउ इंदौर की सील से सीलबंद नमूना है।

104– रामचंद्र नागर स.सा.–6 के परीक्षण के दौरान आर्टिकल ए–1 के सीलबंद आर्टिकल को उभयपक्ष के समक्ष खोला गया जिसे खोले जाने पर साक्षी द्वारा बताया गया कि उक्त आर्टिकल ए–1 के कंट्रीमेड पिस्तौल को उसने आरोपी सचिन से जप्त किया था। साक्षी द्वारा बताया गया कि उसने उक्त आर्टिकल के जप्ती के उपरांत उस पर जप्तीचिट प्रपी–19 चस्पा किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी सचिनपुरी के हस्ताक्षर हैं। उभयपक्ष के समक्ष सीलबंद आर्टिकल 'सी' को खोला गया जिसमें से 7.65 एमएम केलीवर का कारतूस का खोखा निकला जो परीक्षण उपरांत खोखा पर LR1, TC (A1) लिखा है। साक्षी द्वारा बताया गया कि उक्त कारतूस को जप्त कर उस पर जप्तीचिट प्र.पी.–20 चस्पा किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उभयपक्ष के समक्ष सीलबंद आर्टिकल 'ई' को खोला गया जिसमें से 7.65 एमएम केलीवर का कारतूस का खोखा निकला जो परीक्षण उपरांत खोखा पर LR2 TC (A1) लिखा है। साक्षी द्वारा बताया गया कि उक्त कारतूस को जप्त कर उस पर जप्तीचिट प्र.पी.–21 चस्पा किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी सचिन के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार

जो आयुध पिस्टल और जिंदा कारतूस आरोपी सचिन से जप्त किया गया तथा एक जिंदा कारतूस जो घटनास्थल से जप्त किया गया उसे विवेचना अधिकारी के परीक्षण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया।

105— रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि उसने दिनांक 31.12. 2018 को घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी, कंकड़, गिट्टी, एक डिब्बे में घटनास्थल से जप्त सादा मिट्टी कंकड़, गिट्टी, एक सीलबंद पैकेट में घटनास्थल के पास पड़ा एक पीतल का खोल वाला जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल, आरोपी से बरामद एक जिंदा कारतूस को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के मार्फत एफ.एस.एल. जांच हेतु ड्राफ्ट तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा था उक्त ड्राफ्ट प्रपी–13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 06.02.2019 को उसने घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी, कंकड़, गिट्टी, एक डिब्बे में घटनास्थल से जप्त सादा मिट्टी कंकड़, गिट्टी, एक सीलबंद पैकेट को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के मार्फत एफ.एस.एल. जांच हेतु ड्राफ्ट प्र.पी. –14 तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला राउ इंदौर भेजा था।

106— रामचंद्र नागर अ.सा.–6 ने बताया है कि एफ.एस.एल. सागर से प्राप्त रसीद प्रपी–15 है। क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमर घाट राउ से प्राप्त रिपोर्ट प्रपी–16 है तथा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट प्रपी–17 है।

107— आरोपी सचिन से प्र.पी.–5 के जप्ती पत्रक के माध्यम से देशी पिस्टल सिल्वर रंग का चालू हालत में और एक जिंदा कारतूस पीतल की बाडी वाला के.एफ. 7.65 एम.एम. जप्त किया गया तथा घटना के दूसरे दिनांक 05.07.2018 को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस के.एफ. 7.65

लिखा हुआ तथा खूनाआलुदा एवं सादा मिट्टी जप्त किया गया। कार्यालय पुलिस अधीक्षक आगर के पत्र प्र.पी.–13 के माध्यम से आर्टिकल सी घ ाटनास्थल के पास से पडा जिंदा कारतूस, आर्टिकल डी आरोपी सचिन से जप्त देशी पिस्टल एवं आर्टिकल ई आरोपी सचिन से जप्त जिंदा कारतूस एफ.एस.एल. सागर भेजा गया, जिसकी पावती रसीद प्र.पी. –15 एफ.एस.एल. सागर द्वारा दिया गया जिसके अनुसार तीन सीलबंद आर्टिकल सी. डी. ई. एफ.एस.एल. सागर में प्राप्त किया गया।

108– राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बेलेस्टिक शाखा सागर के द्वारा उक्त आर्टिकल पैकेट सी.डी.ई. के जीवित कारतूस, देशी निर्मित पिस्तोल एवं जीवित कारतूस का परीक्षण कर प्र.पी.–17 का परीक्षण रिपोर्ट दिया गया। परीक्षण के दौरान एफ.एस.एल. द्वारा पैकेट डी अर्थात आर्टिकल डी को प्रदर्श–ए–1 से चिन्हित किया गया तथा पैकेट सी एवं ई के कारतूस को कमशः एल.आर–1 एवं एल.आर–2 से चिन्हित किया गया। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.–17 के अनुसार जो पैकेट सी.डी.ई. परीक्षण हेतु प्राप्त किया गया वे सीलबंद थे तथा परीक्षण में पैकेट डी के देशी निर्मित पिस्तोल के परीक्षण के दौरान उक्त पिस्तोल देशी निर्मित पिस्तोल होना पाया गया, जिसमें 7. 65 एम.एम. केलिबर के कारतूस फायर किए जा सकते है। पिस्तोल का एक्शन मैकेनिज्म कार्यशील अवस्था में पाया गया तथा उसके बैरल में इससे पूर्व में फायर किए जाने के अवशेष पाए गए तथा दोनों कारतूस 7. 65 एम.एम. केलिबर का पाया गया जो जीवित अवस्था में एफ.एस.एल. को प्राप्त हुआ था। जिसमें से पिस्तोल प्रदर्श ए–1 से टेस्ट फायर किया गया।

109– आर्म्स मोहर्रर राजेंद्रसिंह तोमर के द्वारा भी आरोपी सचिन से जप्तशुदा पिस्टल के परीक्षण में उसे कार्यरत दशा में होना पाया है। इसके

संबंध में प्र.पी.–22 का प्रतिवेदन दिया गया। इस प्रकार एफ.एल.एल. रिपोर्ट प्र.पी.–17 के अनुसार आरोपी सचिन से जो देशी पिस्तोल जप्त किया गया वह कार्यशील अवस्था में भी होना पाया गया और जो कारतूस जप्त किया गया उसका जिंदा होना पाया गया। पूर्व में विवेचना के दौरान संदेह से परे यह भी प्रमाणित हो गया था कि आरोपी सचिन ने ही आहत ओमप्रकाश पर पिस्टल से फायर किया था। आरोपी सचिन के द्वारा पिस्टल के संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत जारी कोई वैध अनुज्ञप्ति भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित है कि आरोपी सचिन आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में अवैध रूप से देशी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस अपने आधिपत्य में रखा था एवं यह भी प्रमाणित हो गया कि आरोपी सचिन ने अपने पास रखे अवैध आयुध का प्रयोग अवैध प्रयोजन अर्थात ओमप्रकाश की हत्या का प्रयत्न करने के लिए किया। उपरोक्त विवेचना से युक्तियुक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित है कि आरोपी सचिन के पास बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के कार्यरत दशा में पिस्टल एवं जिंदा कारतूस था, जिसका प्रयोग आरोपी सचिन द्वारा अवैध प्रायोजन के लिए किया गया। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **मोहिंदर सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए. आई. आर. 1999 सु.को. 211, अशोक कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 1994 एम.पी.एल.जे. 504 म.प्र.** अवलोकनीय है। ऐसे में अभियुक्त सचिन के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–बी)(ए) एवं 27(1) आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होता है।

110– इस प्रकार अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक 04.07.2018 को समय 16:30 बजे से 16:35 बजे के मध्य स्थान थाना आगर अंतर्गत, बर्डा बरखेड़ा

जोड़, कोटा इंदौर मार्ग में लोकस्थान या उसके समीप में आरोपी सचिन पुरी ने आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को मां–बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ् कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी सचिन आरोपी संतोष के साथ मिलकर आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को जान से खत्म करने का षड्यंत्र कारित किया, यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सचिन पुरी उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आरोपी संतोष, सह आरोपी सचिन के साथ ओमप्रकाश की हत्या कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया। फलतः आरोपी सचिन पुरी को धारा 294, 120बी, 506 भाग–2 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध में एवं आरोपी संतोष पुरी को धारा 120बी, 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

111– किंतु अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी सचिन पुरी ने घटना दिनांक 04.07.2018 को समय 16:30 बजे से 16:35 बजे के मध्य स्थान थाना आगर अंतर्गत, बर्डा बरखेड़ा जोड़, कोटा इंदौर मार्ग में ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को जिस दिशा में जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोककर उसका स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित किया, उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर इस आशय से या ज्ञानपूर्वक तथा ऐसी परिस्थितियों में आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी को पिस्तोल से गोली मारकर, उसे ऐसी प्राणघ ातक उपहति कारित की, कि यदि उक्त चोटों के कारण ओमप्रकाश पुरी

की मृत्यु हो जाती, तो आरोपी सचिन पुरी हत्या का दोषी होता, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की मेंगजीन लगी हुई चालू हालत में एवं एक जिंदा कारतूस पीतल बॉडी का अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखा, अभियोजन संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में सफल रहा है आरोपी सचिन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की मेंगजीन लगी हुई चालू हालत में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर उक्त आयुध से आहत ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुरी पर फायर कर उसका अविधिपूर्ण उपयोग किया। फलतः आरोपी सचिन पुरी को धारा 341, 307 भा.द.सं. एवं धारा 25(1–बी)(क) एवं 27(1) आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध अपराध के संबंध में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है।

112– धारा 235 (2) दं.प्र.सं. के उपबंध को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी सचिन पुरी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने के संबंध में विचार किया गया, किंतु आरोपी सचिन पुरी द्वारा आहत ओमप्रकाश पुरी को पिस्टल से गोली मारकर हत्या का प्रयास किया है, जो कि गंभीर अपराध है। अतः आरोपी सचिन पुरी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

मधुसूदन जंघेल
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगर
जिला आगर मालवा म.प्र.

पुनश्चः–

113— दण्ड के प्रश्न पर आरोपी सचिन पुरी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि वह नवयुवक है, वह जांच/विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है, जिससे उदारता बरते जाने की प्रार्थना की है, जबकि राज्य की ओर से यह निवेदन किया गया है कि आरोपी सचिन ने आहत ओमप्रकाश पुरी के सीने में पिस्तोल से गोली मारकर प्राण घातक चोटें पहुंचायी है। अतः आरोपी सचिन पुरी को कठोरतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

114— उभययपक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण के परिशीलन से दर्शित होता है कि आरोपी सचिन पुरी द्वारा अपने पिता आहत ओमप्रकाश पुरी के सीने अवैध पिस्टल से फायर कर सीने में तीन चोटे पहुंचायी है, जो कि गंभीर अपराध है। अतः आरोपी **सचिन पुरी** को निम्नानुसार दंडित किया जाता है :—

कमांक	**भारतीय दण्ड संहिता 1860, की धारा**	**कारावास**	**अर्थदण्ड**	**अर्थदण्ड के व्यतिकम पर कठोर कारावास**
1	**341**	**01 माह सादा**	**500/—रूपये**	**07 दिवस सादा**
2	**307**	**10 वर्ष सश्रम**	**1,000/—रूपये**	**01 वर्ष सश्रम**
3	**25(1—बी)(क) आयुध अधि.**	**02 वर्ष सश्रम**	**1,000/—रूपये**	**06 माह सश्रम**
4	**27(1)आयुध अधिनियम**	**03 वर्ष सश्रम**	**1,000/—रूपये**	**06 माह सश्रम**

115– आरोपी सचिन पुरी को दी गई कारावास संबंधी सभी मूल सजाएं साथ–साथ भुगतायी जावे तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम में दी गई सजाएं पृथक–पृथक भुगतायी जावे।

116– आरोपी सचिन पुरी द्वारा अर्थदंड जमा किए जाने पर अर्थदंड की कुल राशि 3,500 / –रूपये आहत ओमप्रकाश पुरी पिता कचरू पुरी गोस्वामी उम्र 55 वर्ष निवासी जेल बिल्डिंग के पीछे आगर थाना आगर जिला आगर मालवा म.प्र. को धारा 357 दं.प्र.सं. के तहत बतौर क्षतिपूर्ति स्वरूप अपील अवधि पश्चात दी जावे, अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

117– आरोपीगण द्वारा जांच / विवेचना के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि के संबंध में उनका धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार प्रमाण पत्र बनाया जावे। आरोपी सचिन पुरी दिनांक 30.11.2018 से 02.12.2018 तक पुलिस रिमांड, दिनांक 02.12.2018 से से दिनांक 28.06. 2019 तक न्यायिक अभिरक्षा एवं दिनांक 22.05.2025 से दिनांक 07.08.2026 तक एवं आरोपी संतोष पुरी दिनांक 03.11.2018 से दिनांक 03.12.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा एवं दिनांक 22.09.2025 से दिनांक 07.08.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं।

118– आरोपी सचिन को सजा वारंट के माध्यम से सजा भुगताए जाने हेतु जिला जेल आगर भेजा जावे।

119– प्रकरण में आरोपी विक्की उर्फ धर्मेंद्र पिता अशोक ठाकुर फरार है। फलतः जप्तशुदा संपत्ति सादा मिट्टी, खूनआलुदा मिट्टी, दो कारतूस एवं देशी निर्मित पिस्टल का निराकरण नहीं किया गया।

120– आरोपी विक्की उर्फ धर्मेंद्र पिता अशोक ठाकुर निवासी 325

स्कीम नंबर 78 टैंपों स्टेंड थाना लसुल्डिया इंदौर जिला इंदौर म.प्र. के फरार है, इसलिए प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि प्रकरण नष्ट नहीं किया जावे सुरक्षित रखा जावे।

121– निर्णय की एक प्रति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 363 (1) के अंतर्गत आरोपी सचिन पुरी को निःशुल्क प्रदान की जावे तथा एक प्रति दं.प्र.सं. की धारा 365 के प्रावधान के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी आगर की ओर भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित ।

(मधुसूदन जंघेल)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
आगर जिला आगर मालवा म.प्र.

(मधुसूदन जंघेल)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
आगर जिला आगर मालवा म.प्र.

MADHUSUDAN JANGHEL

Digitally signed by MADHUSUDAN JANGHEL